अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

इस अंक में...

6 ▸ आदिजन की संस्कृति के प्रति भी सजग रहें : कमल नाथ
7 ▸ प्लास्टिक अवशिष्ट से साढ़े 6 हजार किलोमीटर सड़कों का रिकार्ड निर्माण

08 ▸ आदिवासियों द्वारा साहूकारों से लिए सभी कर्ज माफ होंगे
09 ▸ आदिवासी समुदाय पुरातन संस्कृति के संवाहक - श्री कमलेश्वर पटेल

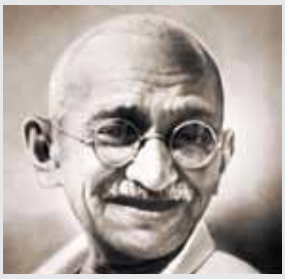

10 ▸ गांवों को सशक्त और स्वाभिमानी बनाना सरकार का संकल्प

13 ▸ त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास की विशेष पहल

16 ▸ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अमल में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे
18 ▸ आवास के लिए 6600 करोड़ का प्रावधान
20 ▸ प्रदेश के गांवों में सम्पूर्ण साफ-सफाई के लिए पाँच सौ करोड़ का प्रावधान
22 ▸ वाटरशेड विकास के लिए 285 करोड़ का बजट प्रावधान
24 ▸ महात्मा गांधी नरेगा से रोजगार और अधोसंरचना विकास के लिए 2 हजार 500 करोड़ का बजट प्रावधान
26 ▸ मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम
28 ▸ मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन : आजीविका के लिए दिये गये 300 करोड़
30 ▸ पंचायत राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए पाँच सौ बावन करोड़ का प्रावधान
32 ▸ कलेक्टर महीने में दो बार एक ब्लॉक और गाँव में जाकर सुलझाएं समस्याएं
33 ▸ नरेगा में ऑनलाइन प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेंगे सरपंच
34 ▸ 15 अगस्त, 2019 को ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन
37 ▸ महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत नवीन ''शांतिधाम'' की मानक लागत एवं भुगतान के निर्देश

संरक्षक
श्री कमलेश्वर पटेल
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास

प्रबंध सम्पादक
संदीप यादव

समन्वय
मध्यप्रदेश माध्यम

परामर्श
अशोक कुमार चौहान
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क :
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

चिट्ठी-चर्चा

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का जुलाई अंक पढ़ने को मिला। अंक में नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत मध्यप्रदेश में नदी संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी प्रकाशित की गई है। नदी संरक्षण के क्षेत्र में ग्रामीण इलाके किस तरह अपनी भूमिका निभा सकते हैं, यह पत्रिका के माध्यम से बताया गया है। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस पत्रिका में ग्रामीण विकास के कार्यों के प्रचार-प्रसार के साथ पर्यावरणीय विकास और संरक्षण के कार्यों को भी प्रकाशित किया गया है।

- द्वारका प्रसाद मिश्रा
रीवा (म.प्र.)

संपादक जी,

बढ़ती जनसंख्या और पानी के घटते संसाधन आज भारत सहित सम्पूर्ण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। पानी की कमी का सबसे बड़ा कारण नदियों और तालाबों का दोहन है। जल संकट का एक ही निवारण है- नदियों का संरक्षण। मध्यप्रदेश सरकार नदियों के संरक्षण के लिए पूर्ण इच्छाशक्ति के साथ कार्य कर रही है। सरकार द्वारा नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम जनसहयोग के साथ चलाया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर छोटी-छोटी नदियों और जल संरचनाओं का संवर्धन करने से न केवल भूजल बढ़ेगा अपितु फसल उत्पादन भी बढ़ेगा। इससे ग्रामीणों की आय में भी वृद्धि होगी और भरपूर खाद्यान्न भी उपलब्ध होगा।

- चन्दन सिंह राठौर
जबलपुर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवीनतम अंक पढ़ने को मिला। मध्यप्रदेश में जल संरक्षण के लिए नदी पुनर्जीवन तथा संवर्धन के सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत गांवों में छोटी-छोटी जल संरचनाएं और स्टॉपडेम बनाये जाने की जानकारी को पंचायिका पत्रिका में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। पत्रिका में इस तरह की जानकारी प्रकाशित होने से आम ग्रामीणों को जल संरक्षण का महत्व पता लगेगा। ग्रामीण अंचलों में जल संरक्षण के लिए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी हम सभी के लिए प्रेरणादायी है।

- अनीता सिंह
जबलपुर (म.प्र.)

संपादक जी,

जल संरक्षण पर केंद्रित मध्यप्रदेश पंचायिका का नवीनतम अंक पढ़ने को मिला। ग्रामीण जीवन का मूल कृषि है और बिना पानी के कृषि संभव नहीं है। इसलिए हमें समय रहते पानी का महत्व समझना होगा। इस पत्रिका के जरिए हमें जल संरक्षण का महत्व बखूबी समझ में आता है। जल संरक्षण के लिए सरकार बड़े प्रयास कर रही है। सरकार ने मनरेगा के जरिए नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम चलाया है। इसकी जानकारी हमें पत्रिका में प्रकाशित विभागीय परिपत्र के द्वारा प्राप्त हुई है। जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं।

- संदीप तिवारी
सीधी (म.प्र.)

कमलेश्वर पटेल
मंत्री

प्रिय बंधुओ,

संविधान में 73वें संविधान संशोधन के साथ त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को अमल में लाया गया। स्व. पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का स्वप्न था। विकेन्द्रीकृत लोकतांत्रिक व्यवस्था को धरातल पर लाना। जैसा हमने वचन पत्र में भी कहा है कि वास्तविक पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया जायेगा। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को अधिकार सम्पन्न बनाने, सत्ता के विकेन्द्रीकरण और स्थानीय सरकार की मजबूती के लिए हमने निरन्तर कदम उठाये हैं।

सत्ता के विकेन्द्रीकरण की कानूनी व्यवस्था को धरातल पर लाने के लिए वित्त एक आवश्यक पक्ष है। हमने इस वर्ष पंचायत एवं ग्रामीण विकास के 25015 करोड़ के बजट में वित्त प्रावधान के द्वारा विकेन्द्रीकृत लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का प्रयास किया है।

हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि ग्रामीण विकास के लिए अधोसंरचनात्मक विकास की आवश्यकता है, उसके लिए हमने बजट में प्रावधान किया है। त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सशक्त करना हमारा लक्ष्य रहा है इसीलिए पंचायत राज व्यवस्था में वित्तीय अधिकार बढ़ाये गये हैं।

जिला व जनपद स्तर पर जनप्रतिनिधि धन की कमी से क्षेत्र में विकास कार्य करने में असमर्थ थे। इसलिए हमने जिला तथा जनपद पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों को विकास कार्यों के लिये दिये जाने वाले व्यय के अधिकार बढ़ा दिये हैं। विगत बजट की राशि 406.40 करोड़ से बढ़ाकर 552 करोड़ की गई है। इस राशि से निर्वाचित पदाधिकारी स्थानीय आवश्यकतानुरूप विकास कार्य कर सकेंगे।

इस बजट में हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिये पर्याप्त राशि प्राप्त हो। इसलिए ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली समस्त राशियों में 15 लाख रुपये तक की स्वीकृति के अधिकार दिये गये हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तीनों स्तर पर पर्याप्त वित्त की हमने व्यवस्था की है ताकि ग्रामीण विकास में कोई रुकावट न आए। हमारा प्रयास है कि हम पंचायतों को सुदृढ़ बनायें, सशक्त बनायें और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनायें।

हमने विकेन्द्रीकृत लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए परिसीमन करने का निर्णय लिया है। इससे भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या के बीच समुचित अनुपात स्थापित होगा। इससे सबसे बड़ा लाभ हमारे ग्रामीणों को होगा। ग्रामीण जनता को उनके पहुंच क्षेत्र में ही स्थानीय सरकार के रूप में पंचायत व्यवस्था का लाभ प्राप्त होगा। स्थानीय सरकार और आमजन के बीच की दूरी कम होगी। स्थानीय संपर्क आसानी से संभव हो सकेगा।

इस तरह हमने वास्तविक विकेन्द्रीकृत लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को वित्त अधिकारों से मजबूत करने का काम किया है। आइए, अब हम सभी मिलकर अपनी पंचायत और अपने ग्राम विकास के काम में लग जायें।

(कमलेश्वर पटेल)
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
मध्यप्रदेश शासन

गौरी सिंह
अपर मुख्य सचिव

अधोसंरचना और ग्रामीण विकास के लिए उपयोगी है

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का बजट

महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, ने कभी कहा था- ''प्रशासन रूपी शरीर में वित्त रुधिर के समान कार्य करता है।'' अर्थात् प्रशासन में वित्त का महत्वपूर्ण स्थान होता है। निश्चित तौर पर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए धनराशि का प्रबंध जरूरी होता है। इसी के अनुक्रम में पंचायत विभाग द्वारा ग्रामीण इलाकों में विकास संबंधी जरूरतों के लिए इस वर्ष 7827.99 करोड़ का बजट प्रावधानित किया है तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 17,186.699 करोड़ बजट का प्रावधान है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कुल बजट 25,015 करोड़ है, जो वास्तव में ग्रामीणों की जरूरतों को पूरा करेगा।

इस वित्तीय वर्ष के बजट में उन सारी जरूरतों को शामिल किया गया है जो ग्रामीणों के अधोसंरचनात्मक विकास के लिए जरूरी हैं। इस बजट में विशेषकर पंचायत राज जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र में विकास के लिए पिछले वर्ष में 406.40 करोड़ के स्थान पर 552.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये, उपाध्यक्ष को 15 से बढ़ाकर 20 लाख रुपये, जिला पंचायत सदस्य को 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये, जनपद अध्यक्ष को 12 लाख से बढ़ाकर 20 लाख, जनपद उपाध्यक्ष को 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तथा जनपद सदस्य को 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए आवंटित किये गये हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए यह राशि बहुत ही उपयोगी साबित होगी।

राज्य वित्त आयोग मद में भी बढ़ोत्तरी की गयी है वर्ष 2018-19 में जहां इस मद से ग्राम पंचायतों को 326.66 करोड़ प्रदाय किये गये थे, वहीं वर्ष 2019-20 में 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

14वाँ वित्त आयोग के तहत वर्ष 2018-19 में मूल अनुदान की राशि 2708.78 करोड़ का वितरण ग्राम पंचायतों में किया गया था। इस वर्ष राशि बढ़ाकर इसमें 4449.11 करोड़ का प्रावधान है। इसके अंतर्गत मूल अनुदान की प्रथम किश्त की राशि 1830.07 करोड़ का वितरण ग्राम पंचायतों में कर दिया गया है। इसके अलावा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना में पिछले वर्ष की तुलना में 626.14 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं अधिकार संपन्न बनाने के समुचित प्रयास इस बजट में किये गए हैं। निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में इस बजट में आवंटित राशि अधोसंरचनात्मक विकास एवं ग्रामीण विकास में काफी सहयोगी साबित होगी।

(गौरी सिंह)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

संदीप यादव
आयुक्त

प्रिय पाठको,

किसी भी क्षेत्र, प्रदेश अथवा देश के विकास के लिए अर्थ एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसीलिए विकास कार्यों की आवश्यकता, क्रियान्वयन और सुचारु संचालन की व्यवस्था के लिए हर विभाग का अपना वार्षिक बजट होता है। विगत दिनों पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश का बजट पारित किया गया।

पंचायत विभाग द्वारा इस वर्ष 7827.99 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था प्रदेश के ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण और प्रभावी व्यवस्था है, इसका सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। पंचायती राज के सुचारु संचालन के लिए वित्त का होना जरूरी है, इसे ध्यान में रखकर वर्ष 2019-20 के बजट में पंचायत राज व्यवस्था की मजबूती और क्रियान्वयन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किये गये और कई मदों में बढ़ोत्तरी की गई। पंचायत राज प्रतिनिधियों को क्षेत्र विकास के लिये दी जाने वाली राशि 406.40 के स्थान पर 552.50 करोड़ की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य तथा जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष तथा जनपद पंचायत सदस्य मद की राशि बढ़ाई गई है। राशि बढ़ने से जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में यथायोग्य विकास कार्य करने में सक्षम रहेंगे। राज्य वित्त आयोग के मद में इस वर्ष 1200 करोड़ का प्रावधान है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का यह बजट और इसके प्रावधान की जानकारी जिला, जनपद तथा ग्राम पंचायत स्तर तक पहुँचे, इसी उद्देश्य से पंचायिका का यह अंक वर्ष 2019-20 के विभागीय बजट पर केन्द्रित है। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट प्रावधान की सम्पूर्ण जानकारी प्रकाशित की जा रही है। बजट को लेकर माननीय विभागीय मंत्री जी का मार्गदर्शन, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश के बजट संदेश को विशेष रूप से शामिल किया गया है। इस अंक में पंचायत राज व्यवस्था की मजबूती और विकासात्मक गतिविधियों के तहत 2019-20 बजट प्रावधान को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद कर उनका पक्ष भी प्रस्तुत किया जा रहा है।

अपेक्षा है कि पंचायिका में प्रकाशित विभागीय बजट का सम्पूर्ण विवरण आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी रहेगा। विगत 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस प्रदेश भर में आयोजित किया गया। समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदिवासी समुदाय के विकास और बेहतर भविष्य के लिये कई प्रावधान किये हैं। कार्यक्रम की सम्पूर्ण जानकारी को हम आयोजन स्तम्भ में प्रकाशित कर रहे हैं। खास खबरों में प्रदेश विकास की गतिविधियों के अलावा शेष स्तम्भ यथावत हैं। आपके मार्गदर्शन और जानकारी के लिए पंचायत गजट में विभागीय आदेश का प्रकाशन किया जा रहा है।

कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(संदीप यादव)
आयुक्त, पंचायत राज

विश्व आदिजन दिवस : 9 अगस्त

आदिजन की संस्कृति के प्रति भी सजग रहें : कमल नाथ

विश्व आदिवासी दिवस पर उन सभी जनजातीय बंधुओं को बधाई, जो प्रकृति के करीब रहते हुए प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। राज्य सरकार ने आदिजन दिवस पर अवकाश घोषित किया है। हम सब उनका सम्मान करें, जो प्रकृति को हमसे ज्यादा समझते हैं। आदिवासी समाज जंगलों की पूजा करता है। उनकी रक्षा करता है। इसी सांस्कृतिक पहचान के साथ समाज में रहते हैं।

वह दिन अब दूर नहीं जब हरियाली और वन संपदा अर्थ-व्यवस्थाओं और देशों की पहचान के सबसे प्रमुख मापदंड होंगे। जिसके पास जितनी ज्यादा हरियाली होगी वह उतना ही अमीर कहलायेगा। उस दिन हम आदिजन के योगदान की कीमत समझ पायेंगे।

हम जानते हैं कि बैगा लोग स्वयं को धरतीपुत्र मानते हैं। इसलिए कई वर्षों से वे हल चलाकर खेती नहीं करते थे। उनकी मान्यता थी कि धरती माता को इससे दुख होगा। आधुनिक सुख-सुविधाओं से दूर बिश्नोई समुदाय का वन्य-जीव प्रेम हो या पेड़ों से लिपट कर उन्हें बचाने का उदाहरण हो। जाहिर है कि आदिजन प्रकृति के रक्षक के साथ पृथ्वी पर सबसे पहले बसने वाले लोग हैं। आज हम टंट्या भील, बिरसा मुंडा और गुंडाधुर जैसे उन सभी आदिजन को भी याद करते हैं जिन्होंने विद्रोह करके आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिये थे।

हमारी सांस्कृतिक विविधता में अपनी आदिजन की संस्कृति की भी भागीदारी है। आदि संस्कृति प्रकृति पूजा की संस्कृति है। यह खुशी की बात है कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिजन दिवस को आदिजन की भाषा पर केंद्रित किया गया है।

हमारी सांस्कृतिक विविधता में अपनी आदिजन की संस्कृति की भी भागीदारी है। आदि संस्कृति प्रकृति पूजा की संस्कृति है। यह खुशी की बात है कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिजन दिवस को आदिजन की भाषा पर केंद्रित किया गया है। जनजातियों के जन्म गीत, शोक गीत, विवाह गीत, नृत्य, संगीत, तीज-त्योहार, देवी-देवता, पहेलियाँ, कहावतें, कहानियाँ, कला-संस्कृति सब विशेष होते हैं। वे विवेक से भरे पूरे लोग हैं। आधुनिक शिक्षा से थोड़ा दूर रहने के बावजूद उनके पास प्रकृति का दिया ज्ञान भरपूर है। मध्यप्रदेश में हमने निर्णय लिया कि गोंडी बोली में गोंड समाज के बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। संस्कृति बचाने के लिए बोलियों और भाषाओं को बचाना जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे आधुनिक ज्ञान और भाषा से दूर रहें। वे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत भी पढ़ें और अपनी बोली को भी बचा कर रखें।

मध्यप्रदेश में हमने निर्णय लिया है कि गोंडी बोली में गोंड समाज के बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। संस्कृति बचाने के लिए बोलियों और भाषाओं को बचाना जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे आधुनिक ज्ञान और भाषा से दूर रहें। वे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत भी पढ़ें और अपनी बोली को भी बचा कर रखें। अपनी बोली बोलना पिछड़ेपन की निशानी नहीं बल्कि गर्व की बात है।

हमारे प्रदेश में कोल, भील, गोंड, बैगा, भारिया और सहरिया जैसी आदिम जातियाँ रहती हैं। ये पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों की रक्षा करते हैं। इन्हीं के चित्रों का गोदना बनवाते हैं। गोदना उनकी उप-जातियों, गोत्र की पहचान होती है जिसके कारण वे अपने समाज में जाने जाते हैं। यह चित्र मोर, मछली, जामुन का पेड़ आदि के होते हैं।

जनजातियों के जन्म गीत, शोक गीत, विवाह गीत, नृत्य, संगीत, तीज-त्योहार, देवी-देवता, पहेलियाँ, कहावतें, कहानियाँ, कला-संस्कृति सब विशेष होते हैं। वे विवेक से भरे पूरे लोग है। आधुनिक शिक्षा से थोड़ा दूर रहने के बावजूद उनके पास प्रकृति का दिया ज्ञान भरपूर है।

मुझसे मिलने वाले कुछ आदिवासी परिवारों ने अपने समाज में आम बोलचाल में आने वाली कहावतों का जिक्र किया। उनके अर्थ इतने गंभीर और दार्शनिक हैं कि आश्चर्य होता है। एक भीली व्यक्ति ने मुझे एक कहावत सुनाई - 'ऊँट सड़ीने भीख मांगे'। इसका मतलब है कि ऊँट पर चढ़कर भीख मांगने से भीख नहीं मिलती। ऐसे ही एक गोंडी समाज के मुखिया ने एक कहावत बताई कि 'खाडे खेतो गाभिन गाय, जब जानू जब मूंह मा आये।' इसका मतलब है कि खेतों

गोंडी चित्रकला की न सिर्फ मध्यप्रदेश बल्कि पूरे विश्व में पहचान है। गोंड चित्रकला को जीवित रखने वालों को सरकार पूरी मदद करेगी। यह हमारा कर्तव्य है। गोंड और परधान लोग गुदुम बाजा बजाते हैं। हम चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय की कला प्रतिभा दुनिया के सामने आए। शिक्षित नागरिक समाज से यह अपेक्षा है कि यह अहसास रहे कि कुछ दूर जंगल में ऐसे आदिजन भी रहते हैं जो हमारे ही जैसे हैं। वे सबसे पहले धरती पर बसने वाले लोग हैं और जंगलों में ही बसे रह गए।

का अनाज और गर्भवती गाय का दूध जब तक मुंह में नहीं आता तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता। भील समाज में भी अक्सर बोला जाता है कि- 'भील भोला आने सेठा मोटा'। इसका मतलब है कि भील के भोलेपन से ही सेठ मालामाल हुआ। ये सब कहावतें दर्शाती हैं कि आदिजन जीवन की बहुत गहरी समझ रखते हैं। कई जनजातियों का उल्लेख तो रामायण में मिलता है। जब भगवान श्रीराम चित्रकूट आये वे कोल जनजाति के लोगों से मिले थे। 'कोल विराट वेश जब सब आए, रचे परन तृण सरन सुहाने।' अभी हाल में जब मेरे ध्यान में लाया गया कि सतना जिले के कोल बहुल गाँव बटोही में कोल समुदाय के बच्चों के लिए स्कूल नहीं है तो मैंने तत्काल स्कूल बनाने के निर्देश दिए। बटोही गांव में बच्चों के लिए प्राथमिक शाला अच्छी तरह चले, यह हमारी जिम्मेदारी है। आज गोंडी चित्रकला की न सिर्फ मध्यप्रदेश बल्कि पूरे विश्व में पहचान है। गोंड चित्रकला को जीवित रखने वालों को सरकार पूरी मदद करेगी। यह हमारा कर्तव्य है। गोंड और परधान लोग गुदुम बाजा बजाते हैं। हम चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय की कला प्रतिभा दुनिया के सामने आए।

शिक्षित नागरिक समाज से यह अपेक्षा है कि यह अहसास रहे कि कुछ दूर जंगल में ऐसे आदिजन भी रहते हैं जो हमारे ही जैसे हैं। वे सबसे पहले धरती पर बसने वाले लोग हैं और जंगलों में ही बसे रह गए।

जब कांग्रेस सरकार ने वनवासी अधिकार अधिनियम बनाया था तो कई संदेह पैदा किए गए थे। आज इसी कानून के कारण वनवासियों को पहचान मिली है। जिन जंगलों में उनके पुरखे रहते थे वहाँ उनका अधिकार है। उन्हें कोई नहीं हटा सकता। हमने उनके अधिकार को कानूनी मान्यता दी है।

आदिवासी संस्कृति में देव स्थानों के महत्व को देखते हुए हमने देव स्थानों के रखरखाव के लिए सहायता देने का निर्णय लिया है। यह संस्कृति को पहचानने की एक छोटी सी पहल है। हमारी सरकार आदिजन की नई पीढ़ी के विकास और उनकी संस्कृति बचाने में मदद देने के लिए वचनबद्ध है।

आदिजन दिवस पर एक बार फिर सभी परिवारों को बधाई। आधुनिक समाज में रहने वाले नागरिकों से अपील करता हूँ कि वे समझें कि हमारे समय में हमारे जैसा ही आदि समाज भी रहता है। यह सब लिखते समय स्वीडिश कवि पावलस उत्सी की कुछ लाइनें बरबस याद हो आती हैं जिनका हिंदी में अर्थ यह है कि -

'जब तक हमारे पास जल है जिसमें मछलियाँ तैरती हैं,
जब तक हमारे पास जमीन है जहाँ हिरण चरते हैं,
जब तक हमारे पास जंगल है जहाँ जानवर छुप सकते हैं
हम इस पृथ्वी पर सुरक्षित हैं।'

अब हमारा कर्तव्य है कि अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग रहें।

- कमल नाथ
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

प्लास्टिक अवशिष्ट से साढ़े 6 हजार किलोमीटर सड़कों का रिकार्ड निर्माण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ने प्लास्टिक अवशिष्ट से प्रदेश में साढ़े 6 हजार किलोमीटर सड़क मार्ग निर्माण का रिकार्ड स्थापित किया है। सड़क निर्माण के क्षेत्र में यह विशेष पहल है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल का सदुपयोग पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने में सहायक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस मटेरियल के उपयोग से सड़कों का निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन में सहयोगी है।

प्राधिकरण द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल का उपयोग कर प्रदेश में आगर जिले में 70 किलोमीटर, अलीराजपुर 59, अनूपपुर 40, अशोक नगर 240, बालाघाट 159, बड़वानी 139, बैतूल 333, भिण्ड 99, भोपाल 4, बुरहानपुर 31, छिन्दवाड़ा 167, दमोह 29, दतिया 94, देवास 111, धार 302, डिंडोरी 123, गुना 111, ग्वालियर 15, हरदा 73, इंदौर 153, जबलपुर 58, झाबुआ 169, कटनी 65, खण्डवा 71, खरगौन 67, मंडला 304, मंदसौर 149, मुरैना 13, नरसिंहपुर 69, नीमच 112, रायसेन 117, राजगढ़ 64, रतलाम 113, रीवा 184, सागर 4, सतना 159, सीहोर 140, सिवनी 298, श्योपुर 54, शहडोल 125, शाजापुर 304, सीधी 57, सिंगरौली 168, टीकमगढ़ 31, उज्जैन 397, उमरिया 75 और विदिशा जिले में 138 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया है।

आदिवासियों द्वारा साहूकारों से लिए सभी कर्ज माफ होंगे

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों द्वारा साहूकारों से लिए गए सभी कर्ज माफ होंगे। इससे प्रदेश के डेढ़ करोड़ आदिवासी साहूकारों के कर्ज से मुक्त होंगे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने 9 अगस्त को छिंदवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बताया कि सरकार ने इसके लिए सभी औपचारिक व्यवस्थाएँ कर ली हैं। सभी 89 अनुसूचित क्षेत्रों में यह कर्ज 15 अगस्त तक माफ होना शुरू हो जाएंगे। श्री कमल नाथ ने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाये जाने की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदिवासी वर्ग की मांग पर अनुसूचित जनजाति विभाग का नाम बदलकर आदिवासी विकास विभाग किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कई ऐतिहासिक कामों का खुलासा किया। उन्होंने साहूकारों से लिए कर्ज माफ करने के संबंध में कहा कि किसी आदिवासी ने कर्ज लेने के लिए अपनी जेवर, जमीन गिरवी रखी है तो वह भी उन्हें वापिस होंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में कोई साहूकार अनुसूचित क्षेत्र में साहूकारी करेगा तो उसे लायसेंस लेकर नियमानुसार धंधा करना होगा। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अगर बगैर लायसेंस के किसी ने अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी का धंधा किया तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसे गैरकानूनी माना जायेगा। यह कर्ज आदिवासी नहीं चुकाएंगे।

डेबिट कार्ड देंगे और हर हाट में खोलेंगे एटीएम

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि प्रदेश के 89 अनुसूचित क्षेत्र विकासखंडों के आदिवासियों को साहूकारों से मुक्त कराने के लिए सरकार उन्हें रुपे, डेबिट कार्ड देगी। इसके जरिए वे जरूरत पड़ने पर दस हजार रुपये तक ए.टी.एम. से निकाल सकेंगे। उन्होंने बताया कि हर हाट बाजार में ए.टी.एम. खोले जायेंगे।

खारिज वनाधिकार प्रकरणों का परीक्षण होगा

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के जिन भी आदिवासियों के वनाधिकार के प्रकरण खारिज हुए हैं उनका पुनरीक्षण किया जायेगा और पात्र होने पर उन्हें वनाधिकार पट्टा दिया जाएगा। श्री नाथ ने कहा कि जहाँ भी वनाधिकार प्रकरण संबंधी आवेदन लंबित हैं उनका अभियान चलाकर निराकरण किया जायेगा।

मुख्यमंत्री मदद योजना

आदिवासी समाज में जन्म और मृत्यु के समय होने वाले रीति-रिवाजों का सम्मान करते हुए श्री कमल नाथ ने 'मुख्यमंत्री मदद योजना' का शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा कि आदिवासी परिवार में अगर बच्चा या बच्ची का जन्म होता है तो उस परिवार को 50 किलो चावल अथवा गेहूँ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह अगर किसी आदिवासी परिवार में मृत्यु होती है तो उस परिवार को एक क्विंटल चावल अथवा गेहूँ दिया जाएगा। इस मौके पर खाना बनाने के लिए उन्हें बड़े बर्तन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

खेलकूद शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर आदिवासियों की शिक्षा और खेल के क्षेत्र में अवसर देने के लिए भी कई घोषणाएँ कीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 40 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे। इनमें आदिवासी बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई के साथ-साथ

प्रमुख बिन्दु

- अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा साहूकारों से लिए गए सभी कर्ज माफ होंगे।
- 15 अगस्त 2019 को साहूकारों से लिए गए सभी कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे।
- जेवर, जमीन यदि गिरवी रखी है, तो वापिस की जाएगी।
- भविष्य में कोई साहूकार अनुसूचित क्षेत्र में साहूकारी का धंधा करना चाहता है तो लायसेंस और नियमों का पालन करेंगे।
- बगैर लायसेंस के साहूकारी का धंधा या नियमों का उल्लंघन किया तो ऐसा कर्ज नहीं चुकाया जाएगा।
- आदिवासियों को डेबिट कार्ड दिए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर ए.टी.एम. से निकाल सकेंगे 10 हजार रूपए।
- हर हाट बाजार में खोले जायेंगे ए.टी.एम.।
- खारिज वनाधिकार पत्रों का फिर से परीक्षण होगा और वनाधिकार पत्र जारी होंगे।
- 'मुख्यमंत्री मदद योजना' में आदिवासी परिवार में जन्म होने पर आधा क्विंटल और मृत्यु होने पर 1 क्विंटल खाद्यान्न मिलेगा। भोजन बनाने के लिए बड़े बर्तन भी उपलब्ध होंगे।
- सभी वन ग्राम राजस्व ग्राम बनेंगे।
- 40 नये एकलव्य विद्यालय खुलेंगे ।
- 40 हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन होगा।
- आदिवासी क्षेत्रों में 7 नये खेल परिसर बनेंगे।
- आदिवासी क्षेत्रों के विद्यालयों में पढ़ाने वाले 53 हजार अध्यापकों को शासकीय शिक्षक के समान सुविधाएँ मिलेंगी।
- अनुसूचित जनजाति विकास विभाग का नाम अब आदिवासी विकास विभाग होगा।

अन्य सुविधाएँ भी होंगी। इसी तरह 40 हाई स्कूलों का उन्नयन कर उन्हें हायर सेकेण्डरी स्कूल बनाया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में सात नए खेल परिसर बनेंगे जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएँ होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के विद्यालयों में पढ़ाने वाले 53 हजार अध्यापकों को शासकीय शिक्षकों के समान सुविधाएँ मिलेंगी।

आष्ठान योजना

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि आदिवासी समाज के देव-स्थलों को सुरक्षित रखने और उन्हें संरक्षण देने के लिए सरकार ने आष्ठान योजना शुरू की है। इससे हम आदिवासी समुदाय के कुल देवता और ग्राम देवी-देवताओं के स्थानों में स्थापित देवगुढ़ी, मढ़िया, देवठान का निर्माण करेंगे, उनका जीर्णोद्धार किया जायेगा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी संस्कृति और उनके गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने के लिए राजा शंकरशाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह की स्मृति में जबलपुर में 500 करोड़ रुपये की लागत से संग्रहालय बनाया जायेगा।

आदिवासी समुदाय पुरातन संस्कृति के संवाहक - श्री कमलेश्वर पटेल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने सीधी में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में कहा कि आदिवासी समुदाय देश की पुरातन संस्कृति का संवाहक है। आवश्यकता है आदिवासी समाज की गौरवशाली संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को सुरक्षित रखने की। राज्य सरकार इन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। श्री कमलेश्वर पटेल ने जनजाति वर्ग को साहूकारों के ऋण से मुक्ति दिलाने और समुदाय के धार्मिक स्थलों के रख-रखाव के लिये आष्ठान योजना लागू करने के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के निर्णय का स्वागत किया।

गर्व है मुझे आदिवासी संबोधित करने पर

समारोह में अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि नई सरकार ने कम समय में आदिवासी वर्गों के लिए जितने बड़े फैसले लिए हैं, वह ऐतिहासिक दस्तावेज बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से आदिवासी समाज की उन्नति का नया मार्ग खुलेगा और वे पिछड़ेपन के दंश से उबर कर सम्मानित जीवन जीने की ओर अग्रसर होंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में वनाधिकार के निरस्त पट्टों को पुनः बहाल करने और और लोक संस्कृति के संरक्षण के प्रयास से आदिवासी समुदाय के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

मध्यप्रदेश में नई सरकार बनने के बाद जो प्राथमिकताएँ तय कीं और जिस नई सोच के साथ काम शुरू किया उसमें सबसे पहले आदिवासियों, पिछड़े क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों की चिंता की और उनके हित में कई फैसले किए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश में आदिवासियों के सर्वांगीण विकास और उनके हित में काम करने के लिए संकल्पित हैं।

गांवों को सशक्त और स्वाभिमानी बनाना

सरकार का संकल्प

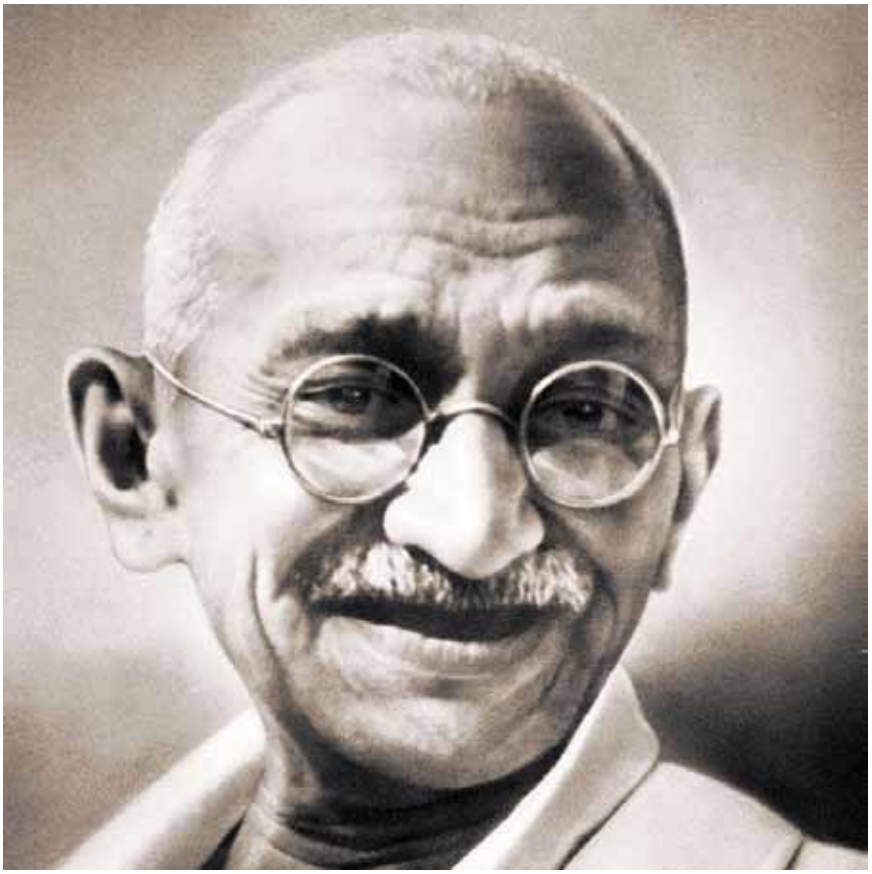

''है अपना हिंदुस्तान कहां... वह बसा हमारे गांवों में'' निस्संदेह भारत की आत्मा गांवों में बसती है। एक समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था में अस्सी प्रतिशत तक योगदान गांवों का था। न केवल खेती, अपितु शिल्पकला और कुटीर उद्योगों का केंद्र भी गांव हुआ करते थे। यह गांवों की ही ताकत थी जिसमें भारत न केवल संपन्न था बल्कि सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन समय के साथ आधुनिकीकरण की आंधी में गांव उजड़ने लगे और देश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या बना किसी से छिपा नहीं है। भारत के इस सत्य को और विकास के इस तथ्य को गांधीजी ने समझा। उन्होंने भारत भर की यात्रा कर 'ग्राम स्वराज' की कल्पना की। उनकी इस विषय पर एक पुस्तक है जिसमें इसका विस्तार से चिंतन है कि आजादी के बाद भारत के गांव कैसे होने चाहिए। वे न केवल आर्थिक दृष्टि से अपितु प्रशासनिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनें।''

कभी किसी कवि ने भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए लिखा था कि ''है अपना हिंदुस्तान कहां... वह बसा हमारे गांवों में'' निस्संदेह भारत की आत्मा गांवों में बसती है। एक समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था में अस्सी प्रतिशत तक योगदान गांवों का था। न केवल खेती, अपितु शिल्पकला और कुटीर उद्योगों का केंद्र भी गांव हुआ करते थे। यह गांवों की ही ताकत थी जिसमें भारत न केवल संपन्न था बल्कि सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन समय के साथ आधुनिकीकरण की आंधी में गांव उजड़ने लगे और देश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या बना किसी से छिपा नहीं है।

भारत के इस सत्य को और विकास के इस तथ्य को गांधीजी ने समझा। उन्होंने भारत भर की यात्रा कर 'ग्राम स्वराज' की कल्पना की। उनकी इस विषय पर एक पुस्तक है जिसमें इसका विस्तार से चिंतन है कि आजादी के बाद भारत के गांव कैसे होने चाहिए। वे न केवल आर्थिक दृष्टि से अपितु प्रशासनिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनें। खेती के साथ-साथ खेती पर आधारित ऐसे कौन-कौन से कुटीर उद्योग हो सकते हैं जो गांव में आरंभ हो सकते हैं। गांधीजी की कल्पना थी कि ये सब कुटीर उद्योग के रूप में हों, जिन्हें या तो खेती से बचे खाली समय में किसान आरंभ करें या उनके बच्चे कर सकें।

हालांकि गांधीजी की कल्पना के आधार पर आजादी के बाद से ही अध्ययन और काम होना आरंभ हो गया था। फिर भी इसका विस्तृत अध्ययन स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने किया और संसद में 73वां संशोधन लेकर आए।

उनकी कल्पना में गांव का शासन गांवों के हाथ में रहे। वे स्थानीय स्तर के प्रशासनिक निर्णय भी स्वयं ले सकें। यदि जिला स्तर की कोई समस्या है तो जिले में ही निबटे। संभाग या राजधानी तक वे ही प्रकरण आएं जो गांव, जनपद या जिले में न निबट सकें। इसके बाद ही प्रकरण राजधानी में आएं।

गांधीजी की कल्पना और राजीवजी के प्रयत्न के अनुरूप मध्यप्रदेश में यह निर्णय लगभग बाईस साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में लागू हुए और जिला सरकार अस्तित्व में आई। राजीवजी की उस कल्पना को लागू करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य बना। इसके अंतर्गत जिला सरकार ने आकार लिया। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत तीन स्तर की व्यवस्था लागू की गई। किसी प्रकार का प्रशासनिक अवरोध न आए, इसके लिए जिला सरकार के अध्यक्ष जन प्रतिनिधि को मंत्री बराबर दर्जा दिया गया।

समय के साथ बीच में कुछ परिवर्तन आए लेकिन कमल नाथ सरकार ने पुन: उस दिशा में काम करना आरंभ किया। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने इस संबंध में न केवल अपनी केबिनेट में निर्णय लिया है बल्कि संबंधित विभागों का बजट भी बढ़ाया है।

गांधीजी की कल्पना और राजीवजी के प्रयत्न के अनुरुप मध्यप्रदेश में यह निर्णय मध्यप्रदेश में लगभग बाईस साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में लागू हुए और जिला सरकार अस्तित्व में आई। राजीवजी की उस कल्पना को लागू करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य बना। इसके अंतर्गत जिला सरकार ने आकार लिया। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत तीन स्तर की व्यवस्था लागू की गई। किसी प्रकार का प्रशासनिक अवरोध न आए, इसके लिए न केवल जिला सरकार के अध्यक्ष जन प्रतिनिधि को मंत्री बराबर दर्जा दिया गया।

इस सिलसिले में पंचायत राज संचालनालय का विगत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जहां 6778.02 करोड़ का बजट प्रावधान था वहीं इस वर्ष 2019-20 में 7827.99 करोड़ का बजट प्रावधान है, जो कि पिछले वर्ष से 1049.97 करोड़ अधिक है।

14वां वित्त आयोग के तहत हम देखें तो वर्ष 2018-19 में प्राप्त मूल अनुदान की राशि 2708.78 करोड़ का वितरण ग्राम पंचायतों में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 4449.11 करोड़ का प्रावधान है।

राज्य वित्त आयोग मद से वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि 326.66 करोड़ का वितरण ग्राम पंचायतों में किया गया है। इस वर्ष राज्य वित्त आयोग मद में

1200.00 करोड़ का प्रावधान है।

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अम्ब्रेला स्कीम के रूप में संचालित है, जो कि मुख्य रूप से 14वां वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की प्राप्त राशि से संचालित है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 3035.44 करोड़ जारी किये गये हैं।

वर्ष 2019-20 में राशि रुपये 1830.07 करोड़ जारी किये गये। औसत रूप से ग्राम पंचायतों को रुपये 12.00 लाख से अधिक प्राप्त होंगे, जो कि विगत वर्ष से 626.14 करोड़ अधिक है।

योजना अन्तर्गत ''गौशाला निर्माण'' को शामिल किया गया है।

जिला एवं जनपद पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों के विकल्प पर राज्य वित्त आयोग मद से वर्ष 2018-19 में राशि 406.40 करोड़ पदाधिकारियों को उपलब्ध कराये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में वृद्धि होने के फलस्वरूप राशि 552.50 करोड़ निर्वाचित पदाधिकारियों को जारी की जावेगी, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष राशि 25.00 लाख से बढ़ाकर राशि 50.00 लाख, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राशि 15.00 लाख से बढ़ाकर राशि 20.00 लाख, जिला पंचायत सदस्य राशि 10.00 लाख से बढ़ाकर राशि 15.00 लाख, जनपद पंचायत अध्यक्ष राशि 12.00 लाख से बढ़ाकर राशि 20.00 लाख, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष राशि 8.00 लाख से बढ़ाकर राशि 10.00 लाख और जनपद पंचायत सदस्य राशि 4.00 लाख से बढ़ाकर राशि 5.00 लाख की गयी।

इस बजट में पंचायतों के अधिकारों को लेकर एक और विशेष प्रावधान किया गया, वह है मरम्मत और संधारण को लेकर। पहले मरम्मत और संधारण के लिए ग्राम पंचायतों को 10 हजार, जनपद पंचायतों को 50 हजार तथा जिला पंचायतों को 1 लाख तक के ही अधिकार थे। वह राशि बढ़ाकर ग्राम पंचायतों के लिए 50 हजार, जनपद के लिए 1.50 लाख तथा जिला पंचायतों को 5 लाख किये जाने का प्रावधान है।

पूर्व में प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत भाग सीसी सड़क एवं पक्की नाली पर व्यय किया जाना अनिवार्य था। अब पंचायतें अपनी आवश्यकता अनुसार इस राशि का 75 प्रतिशत भाग पक्के निर्माण कार्यों पर कर सकती हैं।

● डॉ. विद्या शर्मा

त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास की विशेष पहल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग बजट

हाल ही में सम्पन्न हुए विधानसभा सत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का बजट पारित करवाया गया। इसमें ग्रामीण विकास विभाग का 17186.699 करोड़ तथा पंचायत विभाग का 7827..99 करोड़ कुल 25,015.000 करोड़ का प्रावधान है। वर्ष 2019-20 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है।

यह बजट पूर्व में प्रस्तुत बजट से अलग भी है और विशेष भी। अलग इसलिए कि इसमें ग्रामीण विकास के स्थानीय पक्ष को केन्द्र में रखकर आधारभूत विकास से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता में रखकर राशि का प्रावधान किया है। चूंकि भारत में ग्रामीण विकास, समग्र विकास की रीढ़ है! जब रीढ़ मजबूत होगी तभी सम्पूर्ण मजबूती का प्रयास संभव हो सकेगा। विकास के लिए वित्त आवश्यक है। वित्त आवंटन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने छूटे हुए सभी पक्षों और क्षेत्रों को केन्द्र में रखा है। ग्रामीण विकास की आवश्यकता और संभावनाओं को केन्द्र में रखकर राशि वितरित की है। राशि का यह आवंटन निश्चित ही अधोसंरचनात्मक विकास और ग्रामीण विकास के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।

इस वर्ष राशि में 26 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है। निश्चित ही यह बढ़ी हुई राशि विकास को स्थायित्व के साथ गति प्रदान करेगी। स्थायित्व इसलिए कि इसमें अधोसंरचना को महत्व दिया गया है। अधोसंरचना से सुदृढ़ता आती है और विकास के आयाम विकसित होते हैं। बजट के साथ-साथ यदि हम सरकार द्वारा विगत छः माह में किये गये कार्यों पर एक दृष्टि डालें तो हमें सरकार की मंशा और विकास की भावी रणनीति भी स्पष्ट हो जाती है।

प्रदेश में विकेन्द्रीकृत लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमने त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। इस बजट में पंचायतों को प्राप्त होने वाली समस्त राशियों में 15 लाख रुपये तक की स्वीकृति के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये हैं। अब ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र के विकास के लिए समुचित निर्णय लेकर प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेंगी।

हमने त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का विस्तृत परिसीमन करने का भी निर्णय लिया है, ताकि हमारे प्रदेश की ग्रामीण जनता को उसके पहुंच क्षेत्र में ही स्थानीय सरकार के रूप में पंचायत व्यवस्था का लाभ मिल सके।

श्री कमलेश्वर पटेल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बाद मध्यप्रदेश में पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर पर पृथक पंचायत राज संचालनालय का गठन किया गया। पंचायत राज संचालनालय द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का क्रियान्वयन ग्रामीण अधोसंरचना का विकास, गांवों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना, पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने हेतु करारोपण के लिए प्रोत्साहित करना और पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमतावर्धन, उन्मुखीकरण एवं तकनीकी आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है।

पंचायत राज संचालनालय के लिए इस वर्ष 7827.99 करोड़ का बजट प्रावधान है जो विगत 6778.02 करोड़ से 1049.97 करोड़ अधिक है। राशि की इस बढ़ोत्तरी के साथ पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं अधिकार संपन्न बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस वर्ष बजट में अधोसंरचना विकास और ग्रामीण विकास को केन्द्र में रखकर राशि आवंटित की गई।

14वां वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान में वर्ष 2018-19 में जहां 2708.78 करोड़ का वितरण ग्राम पंचायतों को किया गया है, वहीं इस वित्तीय वर्ष में 4449.11 करोड़ का

प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 326.66 करोड़ का वितरण ग्राम पंचायतों में किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 1200.00 करोड़ का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग द्वारा राशि में की गयी वृद्धि निश्चित ही पंचायतों के सशक्तिकरण और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण साबित होगी।

पंचायत राज संचालनालय द्वारा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अम्ब्रेला स्कीम के रूप में संचालित है जिसके लिए राशि 14वां वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की प्राप्त राशि से प्रदान की जाती है।

इस वर्ष 2019-20 में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना अंतर्गत 1830.07 करोड़ रुपये जारी किये गये। द्वितीय किश्त की राशि माह नवम्बर 2019 में 1830.07 करोड़ जारी की जायेगी। कुल मिलाकर ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली राशि विगत वर्ष से 626.14 करोड़ अधिक है। इस राशि का उपयोग सीधे ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है।

इस वर्ष के बजट में ग्रामीण विकास के सभी गेप को भरने का प्रयास किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में जरूरी अधोसंरचनात्मक विकास के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान है जिसमें जिला और जनपद प्रतिनिधियों को क्षेत्र विकास के लिए आवंटित राशि में इजाफा किया गया है।

पिछले वर्ष जारी 406.40 करोड़ के स्थान पर 552.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई। जिला पंचायत उपाध्यक्ष राशि 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई। जिला पंचायत सदस्य राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की गई। जनपद पंचायत अध्यक्ष राशि 12 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष की राशि 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई। जनपद पंचायत सदस्य राशि 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई।

इस वर्ष के बजट में पंचायतों के मरम्मत और सुदृढ़ीकरण को लेकर भी विचार किया गया है। पंचायत राज व्यवस्था के सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मरम्मत और संधारण के अधिकारों में वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। पहले जहां ग्राम पंचायतों को संधारण के लिए 10 हजार रुपये दिये जाते थे उसे बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये, जनपद पंचायतों को पहले 50 हजार दिये जाते थे उसे बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये तथा जिला पंचायतों के लिए राशि 1 लाख रुपये थी वह अब 5 लाख रुपये किये जाना प्रावधानित है। ग्राम, जनपद व जिला पंचायतों को इस बढ़ी हुई राशि से कार्य करने के अधिकार होंगे।

सरकार ने वर्ष 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर विस्तृत परिसीमन करने का भी निर्णय लिया है। परिसीमन से विकेन्द्रीकृत लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी तथा स्थानीय सरकार और लोगों के बीच की दूरी कम होगी, निकटता बढ़ेगी और सामंजस्य स्थापित होगा।

● प्रस्तुति : समीर शास्त्री

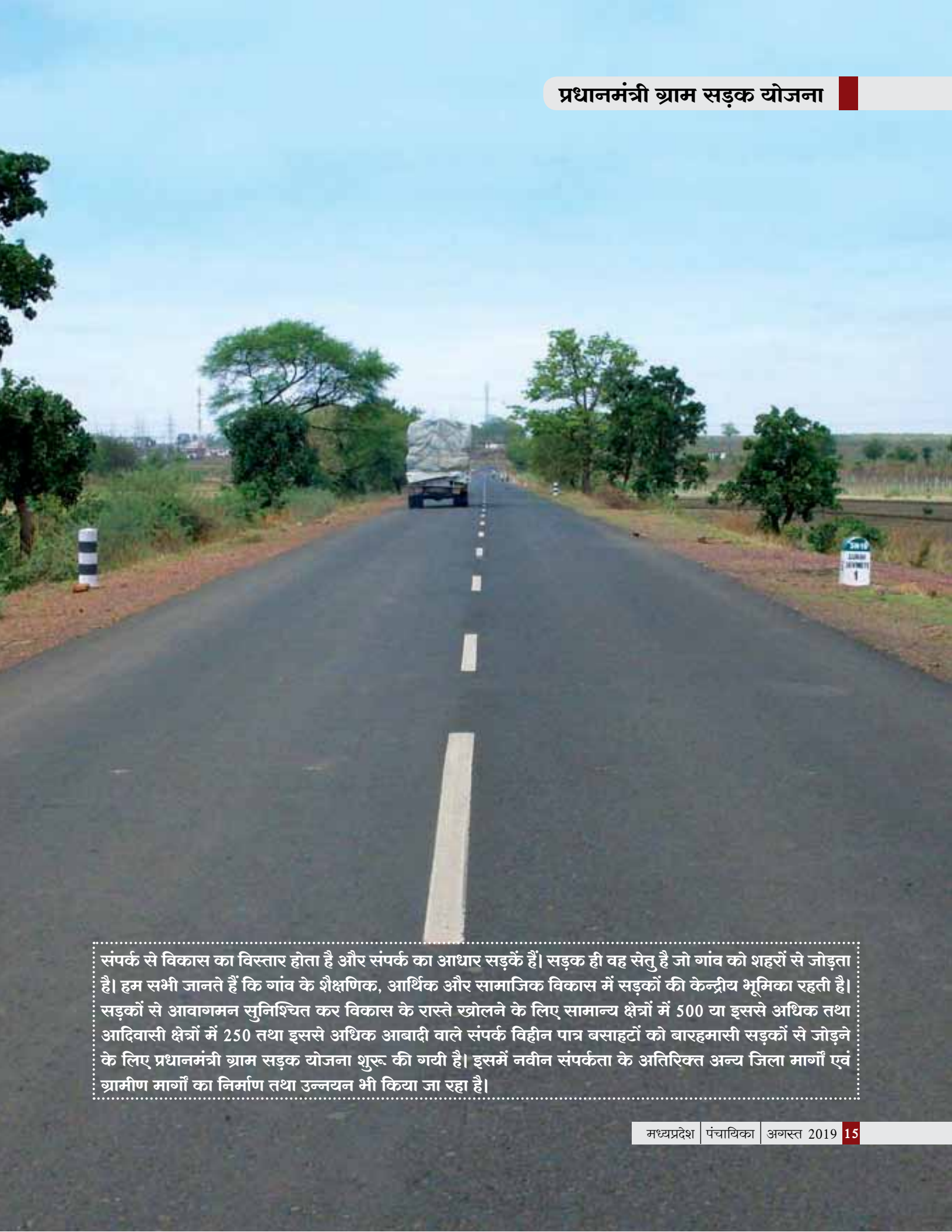

संपर्क से विकास का विस्तार होता है और संपर्क का आधार सड़कें हैं। सड़क ही वह सेतु है जो गांव को शहरों से जोड़ता है। हम सभी जानते हैं कि गांव के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में सड़कों की केन्द्रीय भूमिका रहती है। सड़कों से आवागमन सुनिश्चित कर विकास के रास्ते खोलने के लिए सामान्य क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 तथा इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन पात्र बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गयी है। इसमें नवीन संपर्कता के अतिरिक्त अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण तथा उन्नयन भी किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अमल में

मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे

मध्यप्रदेश, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कार्य करने और गुणवत्ता प्रदान करने में देश में अग्रणी है।

विगत छह माह में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 हजार 88 किलोमीटर सड़कों तथा 86 पुलों का निर्माण किया गया और 416 बसाहटों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया।

वर्ष 2019-20 के लिए बजट में 2500 करोड़ का प्रावधान है। इसके तहत 2 हजार 600 किलोमीटर का सड़क निर्माण तथा 275 पुलों का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

सड़कों का संधारण एवं रख-रखाव

वर्ष 2018-19 में 5 हजार 526 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण एवं 78 हजार 12 किलोमीटर सड़कों का सामान्य संधारण कार्य किया गया है तथा खनिज परिवहन एवं भारी वाहनों के यातायात से क्षतिग्रस्त 780 किलोमीटर लम्बाई में उन्नयन का कार्य किया गया। कुल राशि 1070 करोड़ व्यय की गई।

विगत छः माह में 3100 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण तथा 340 किलोमीटर उन्नयन का कार्य किया गया है। इस वर्ष 2019-20 में 514 करोड़ का बजट प्रावधान तथा मण्डी निधि से 325 करोड़ एवं प्रोत्साहन राशि के रूप में 190 करोड़ प्रावधानित की गई है, जिससे आवश्यकतानुसार 6500 किलोमीटर नवीनीकरण कार्य एवं 680 किलोमीटर उन्नयन कार्य किये जाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
(बाह्य वित्त पोषित)

- **विश्व बैंक एवं एशियन अधोसंरचना निवेश बैंक (AIIB) से प्राप्त ऋण से।**

इस योजना के तहत 5800 किलोमीटर डामरीकृत सड़कों का निर्माण किया गया। इससे 2287 ग्रामों को लाभ पहुँचा है।

इस वित्तीय वर्ष में 1400 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें शेष 2500 किलोमीटर सड़कों का डामरीकरण का कार्य किया जायेगा, जिससे 1100 ग्राम सड़क संपर्क से जुड़ जाएंगे।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 2010-11 में की गयी थी। योजना का मुख्य उद्देश्य सामान्य क्षेत्र में 500 से कम तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम जनसंख्या वाले गांवों को बारहमासी सड़क सुविधा उपलब्ध कराना है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल का मानना है कि योजना के तहत यह संपर्क सुविधा ग्रामीणों के लिए आवश्यक भी है और महत्वपूर्ण भी। इसलिए आगामी 6 माह में योजना के शेष कार्य पूर्ण किये जायेंगे। अब तक योजना के तहत 8 हजार 606 गांवों की 8 हजार तीन सौ 77 सड़कों को 19 हजार 394 किलोमीटर लम्बाई में बनाकर जोड़ा जाना है, जिसमें अब तक 8 हजार 76

गांवों को 17 हजार 930 किलोमीटर की 7 हजार 824 सड़कें बनाकर जोड़ा गया। विगत 6 माह में 124 करोड़ रुपये की लागत से 504 किलोमीटर लम्बाई की 220 सड़कों का निर्माण किया गया। इस वर्ष योजना में 200 करोड़ रुपये आवंटित हैं। इस राशि से आगामी 6 महीनों में शेष 450 किलोमीटर की 200 सड़कें बनाने का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

● प्रस्तुति : रीमा राय

आपकी सरकार-आपके द्वार

कार्यक्रम में समस्याओं का त्वरित निराकरण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने सीधी जिले के ग्राम पोखरा में 'आपकी सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम में कहा कि 'आपकी सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों की रोजमर्रा की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों का समय और पैसा दोनों की बचत होगी, साथ ही शासकीय अमले में जवाबदारी का एहसास होगा।

कार्यक्रम में 282 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया। सीधी जिले में 5 करोड़ 27 लाख रुपये लागत की 7 ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास, 27 लाख 71 हजार रुपये लागत के ग्राम पंचायत ददरी में गौशाला का भूमिपूजन और ग्राम पंचायत पोखरा में 10 लाख की लागत के मंगल भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मंत्री श्री पटेल ने नया सवेरा योजना में असंगठित क्षेत्र के 9 दिवंगत श्रमिकों के परिजनों को सामान्य मृत्यु पर दो-दो लाख तथा 21 श्रमिकों के परिजनों को दुर्घटना मृत्यु के कारण चार-चार लाख रुपए अनुग्रह राशि वितरित की। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 9 मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 20-20 हजार की सहायता

राशि के चेक वितरित किए गए।

आवास के लिए 6600 करोड़ का प्रावधान

अपना एक घर हो यह सपना हरेक का होता है। अपना घर अपनत्व देता है, स्थायित्व का बोध कराता है, जिसमें सुरक्षा के भाव के साथ आत्मविश्वास बढ़ता है। सबके लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना 1 अप्रैल, 2016 से भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई, जिसकी औपचारिक शुरुआत 20 नवम्बर, 2016 को प्रधानमंत्री जी द्वारा की गयी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्तीय पोषण किया जा रहा है।

प्रदेश में वर्ष 2019-20 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 6600 करोड़ रुपये का प्रावधान है। योजना के तहत प्रदेश में 5.50 लाख लक्षित हितग्राहियों में से 3.91 लाख हितग्राहियों को आवास का लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है। इस योजना के तहत हितग्राही चयन का कार्य वर्ष 2016-17 में सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के अनुसार समस्त आवासहीन तथा शून्य कक्ष कच्चा आवास श्रेणी के हितग्राहियों

को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष लक्षित हितग्राहियों को एक कक्ष कच्चा आवास में वर्गीकृत परिवारों से लिया गया है। आवास आवंटन के लिए ग्रामसभा से सत्यापित और अनुमोदित प्राथमिकता सूची तैयार की गई है। आवासहीन, शून्य कक्ष कच्चा आवास, एक कक्ष अथवा दो कक्ष कच्चे आवास की सूची का सत्यापन कराया जाकर सत्यापित सूची की प्रविष्टि आवास सॉफ्ट में कराई गई और प्राथमिकता सूची तैयार की गई है। रूरबन मिशन के अंतर्गत चयनित ग्रामों में एक कक्ष कच्चा आवास श्रेणी के सभी पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विगत 6 महीनों में लगभग एक लाख से अधिक आवास पूर्ण किये गए। उम्मीद है कि वर्ष 2019-20 में लक्ष्य पूर्ति संभव हो जायेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश अग्रणी राज्य है। सबसे पहले प्रदेश में राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षित कर गुणवत्ता पूर्ण आवास निर्माण की पहल की गयी। नवाचारों में अग्रणी राज्य में एक और विशेष पहल की गई। पहले आवास निर्माण में राजमिस्त्री का कार्य पुरुषों द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन अब प्रदेश सरकार की पहल से महिलाओं और समाज की सोच में बदलाव आया है। पुरानी सामाजिक मान्यताओं को तोड़कर 9000 महिलाओं द्वारा राजमिस्त्री का प्रशिक्षण लिया गया। प्रदेश सरकार द्वारा किया गया यह एक सराहनीय प्रयास है। यह महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए प्रभावी कदम हो सकता है। आवास की अन्य योजनाओं में पूर्व में प्रारंभ की गई इंदिरा आवास योजना को एक अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया है। वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक स्वीकृत कुल 6,39,526 आवास के विरुद्ध 31 मार्च, 2019 की स्थिति में 6,11,001 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं।

शेष आवास निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना में 2011-12 से 2015-16 तक स्वीकृत कुछ 26,703 आवासों में से 23,537 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन अंतर्गत 2011-12 से 2015-16 तक स्वीकृत कुल 6,57,490 आवासों में से 6,25,821 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष निर्माणाधीन हैं।

● **प्रस्तुति : समीर शास्त्री**

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण

प्रदेश के गांवों में सम्पूर्ण साफ-सफाई के लिए

पाँच सौ करोड़ का प्रावधान

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान है। इस राशि से मध्यप्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विगत 6 माह से सरकार ने विशेष कार्य किये और लक्ष्य पूर्ति की सम्पूर्ण कार्ययोजना भी बना ली है।

स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता आवश्यक है। स्वच्छता और साफ-सफाई से 80 प्रतिशत बीमारियों से बचा जा सकता है और जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है। गांवों में समग्र स्वच्छता और सर्वव्यापी स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण की शुरुआत की गयी। इसका उद्देश्य स्वच्छता, साफ-सफाई और खुले में शौच की प्रथा समाप्त करने की गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी आवश्यक हो सम्पूर्ण साफ-सफाई के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन करना तथा समुदाय के लिए स्वच्छता प्रणालियों को विकसित करना।

स्वच्छ भारत अभियान के मुख्य घटक हैं : व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग, सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण, ठोस एवं तरल कूड़ा-करकट का निपटान,

स्वच्छता को लेकर सूचना, शिक्षा और संचार क्षमतावर्धन करना, नवाचार तथा अन्य पहल।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान है। इस राशि से मध्यप्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विगत 6 माह से सरकार ने विशेष कार्य किये और लक्ष्य पूर्ति की सम्पूर्ण कार्ययोजना भी बना ली है। विगत छः माह में किये गये कार्यों में दिसम्बर 2018 से जून 2019 तक बेसलाइन सर्वे किया गया जिसमें 2012 से छूटे हुए एक लाख 81 हजार 318 घरों में शौचालय निर्मित किये गये। विभाग द्वारा 30 हजार स्थानीय स्वच्छाग्रहियों से ऐसे घरों को चिन्हित करने का सर्वे करवाया जा रहा है जिनमें शौचालय नहीं हैं। सर्वे के आधार पर चिन्हित सभी घरों में शौचालय निर्माण करवाया जायेगा। स्वच्छाग्रही द्वारा यह कार्य मोबाइल एप के माध्यम से किया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट स्वच्छ एमपी पोर्टल पर भी प्रदर्शित होती है। प्रदेश के सभी घरों में 2 अक्टूबर 2019 तक शौचालय का निर्माण किये जाने के साथ उसका उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पंचायतवार परियोजना प्रस्ताव तैयार कर कार्य किया जाता है। ठोस एवं तरल अपशिष्टों के निपटान के लिए ग्राम पंचायतों को विशेष रूप से प्रावधान है। इसके तहत 150 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को 7 लाख रुपये, 300 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को 12 लाख रुपये, 500 परिवार वाले ग्राम पंचायतों को 15 लाख रुपये तथा 500 से अधिक परिवार वाली ग्राम पंचायतों को 20 लाख रुपये का प्रावधान है। प्रदेश में वर्ष 2019-20 में 2,500 ग्राम पंचायतों को स्वच्छ बनाने के लिए उनमें ठोस एवं तरल अपशिष्ट के प्रबंधन का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

● **प्रस्तुति : ज्योति राय**

स्वच्छ भारत मिशन कार्यों का सर्वेक्षण करेंगे स्वच्छाग्रही

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन में कराए गये कार्यों का 26 हजार स्वच्छाग्रहियों से सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। सभी जिलों में सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2019 तक प्राप्त की जाएगी। भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने इस प्रयास की सराहना की है।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण अंचल को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए स्वच्छाग्रहियों से छूटे घरों का चिन्हांकन कराया जा रहा है। अभियान में बनाये गये 90 लाख शौचालयों का भौतिक सत्यापन तथा टूटे-फूटे शौचालयों का चिन्हांकन कराया जाएगा। निगरानी समितियों का सशक्तिकरण और समुदाय के साथ लगातार संवाद स्थापित कर शौचालयों के उपयोग के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जायेगा।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि स्वच्छाग्रही मोबाइल एप से अपनी रिपोर्ट स्वच्छ एम.पी. पोर्टल पर प्रदर्शित करेंगे। शौचालयों के निर्माण से छूटे घरों में निर्माण और अनुपयोगी हो चुके शौचालयों को उपयोगी बनाने का कार्य किया जायेगा।

वाटरशेड विकास के लिए
285 करोड़ का बजट प्रावधान

मध्यप्रदेश कृषि बाहुल्य प्रदेश है। प्रदेश में कृषि विकास की संभावनाओं को विकसित करने के लिए वाटरशेड विकास के द्वारा जल संरक्षण और भूजल संवर्धन से सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ष बजट में वाटरशेड विकास के लिए बढ़ोत्तरी की गई है।

प्रदेश में लगभग 55 प्रतिशत कृषि क्षेत्र गैर सिंचित है। इन क्षेत्रों में वर्षा पर निर्भरता, असमय सूखा और भूजल स्तर में गिरावट का प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ता है। उपज कम होती है, कई बार तो किसान की लागत तक नहीं निकल पाती।

किसानों को इस संकट से उबारने के लिए वाटरशेड विकास योजना लागू की गई है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा नहीं है ऐसे क्षेत्रों में वर्षा जल को सहेजकर सतही जल संग्रहण एवं भूजल संवर्धन के द्वारा संरक्षित सिंचाई से कृषि संबंधी आदानों एवं प्रौद्योगिकी से खेती से होने वाली आय को बढ़ाया जा रहा है। इस तरह वाटरशेड विकास की योजना सिंचाई क्षमता विकसित करती हैं, कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी करती है। इससे किसान समृद्ध होता है।

वर्ष 2018-19 में 213.14 करोड़ की लागत से 4 हजार 83 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया। इन संरचनाओं से 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित की गई।

इस वर्ष यानी 2019-20 में 5 हजार संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य है, जिनसे 18 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होगी। इसके लिए इस वर्ष 285 करोड़ का बजट प्रावधान है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि रकबा बढ़ाने के लिए कारगिल योजना है। इसमें नवीन जल स्रोतों के सृजन, जल के समुचित वितरण तथा जल का दक्षतापूर्ण उपयोग शामिल है।

वाटरशेड विकास योजना से कम लागत से नवीन जल स्रोतों का सृजन किया जाता है। जल का वितरण और

संरचनाओं का प्रबंधन ग्रामीण लोगों द्वारा स्वतः किये जाने के कारण इसका दक्षतापूर्ण उपयोग किया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य वर्षा जल को सहेजकर सतही जल संग्रहण एवं भूजल संवर्धन के द्वारा सिंचाई सामर्थ्य में विस्तार करना, पड़त भूमि को विकसित कर इसे उत्पादन के लिए उपयोग में लाना, उन्नत कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकियों तथा प्रणालियों को अपनाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना तथा संसाधनहीन ग्रामीणों की आजीविका उन्नयन के लिए आय के वैकल्पिक स्रोतों का सृजन करना है।

वाटरशेड विकास योजना के तहत मिट्टी के संरक्षण के लिए कन्टूर ट्रेंच, मेढ़ बंधान, गली प्लग, लूज बोल्डर चेक आदि का निर्माण किया जाता है। सतही जल संग्रहण के लिए स्टापडेम, चेकडेम, नाला बंधान, तालाब, फॉर्म पौण्ड, डग आउट पौण्ड तथा बोरी बंधान आदि का निर्माण, भूजल संवर्धन के लिए परकोलेशन टैंक, कुण्डी कुइंया, कुआं, नलकूप रिचार्ज, भूमिगत डाईक आदि का निर्माण किया जाता है।

वानस्पतिक आवरण में वृद्धि के लिए वृक्षारोपण तथा घास विकास की गतिविधियां की जाती हैं। संसाधनहीन ग्रामीणों की आजीविका उन्नयन के लिए आयमूलक गतिविधियाँ चलाई जाती हैं तथा कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए पैकेज ऑफ प्रेक्टिस को अपनाया गया है। प्रदेश में वाटरशेड परियोजनाओं के उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ष 2018-19 में 3 राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यह पुरस्कार इंदौर की परियोजना क्रमांक-3 में चोरल नदी पुनर्जीवन, भोपाल की परियोजना क्रमांक 9 तथा 10 में समेकित जल संरक्षण तथा मुरैना की वाटरशेड परियोजनाओं में अभिसरण के द्वारा निर्माण के लिए प्राप्त हुए हैं।

● प्रस्तुति : हेमलता हुरमाड़े

ग्राम पंचायतें बनायें पानी का बजट

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश की 22 हजार 812 ग्राम पंचायतों के पंच-सरपंच को पत्र भेजकर आह्वान किया है कि पेयजल संकट का सामना करने के लिये जल-सम्मेलन आयोजित कर पानी का बजट बनायें। प्रत्येक ग्राम में जल-संरक्षण की रणनीति तैयार की जाये। ग्राम पंचायतें अपने कार्य-क्षेत्र में पेयजल और खेती के लिये पानी की आवश्यकता, उपलब्धता, परम्परागत जल-स्रोतों की स्थिति एवं जल-संग्रहण क्षमता का आकलन करें। जल-स्रोतों के

संवर्धन के लिये जन-सहभागिता से श्रमदान करायें। किसानों को खेतों में मेढ़-बँधान और चेकडेम जैसी संरचनाएँ बनाने तथा कम पानी की फसल बोने के लिये प्रेरित करें।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार परम्परागत जल-स्रोतों के संरक्षण और नवीन संरचनाओं के निर्माण के लिये निरंतर कार्य कर रही है।

प्रदेश के 36 जिलों में 40 ऐसी नदियाँ हैं, जिनका प्रवाह बंद हो गया है अथवा रुक गया है। इन्हें पुनर्जीवित करने की बृहद कार्य-योजना पर कार्य प्रारंभ किया गया है। इससे 3621 ग्रामों के सवा लाख से अधिक किसानों की 2 लाख 129 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पानी के संकट को दूर करने के लिये प्रतिबद्ध है।

महात्मा गांधी नरेगा से रोजगार और अधोसंरचना

विकास के लिए 2 हजार 500 करोड़ का बजट प्रावधान

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम

महात्मा गांधी नरेगा आवश्यक रोजगार और गांव की परिसंपत्तियों के निर्माण की अभूतपूर्व योजना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के वयस्क सदस्यों को एक साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध किया जाता है साथ ही गांव की परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए विभिन्न उपयोजनाओं को बनाया गया है। इन उपयोजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन और संचालन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में संचालित हितग्राहीमूलक और समुदायमूलक उपयोजनाएं गांव के सशक्त और समग्र विकास के लिए कारगर साबित हो रही हैं, महात्मा गांधी नरेगा के साथ अन्य योजनाओं के अभिसरण में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार निर्माण के साथ आजीविका के स्थाई संसाधन उपलब्ध किये गये हैं। इससे ग्रामीणों का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। ग्रामीणों के समग्र विकास के लिए उपयोगी महात्मा गांधी नरेगा का क्रियान्वयन प्रदेश में पारदर्शितापूर्ण किया जा रहा है, विशेषता यह है कि इसमें मैदानी अमले की जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है।

मध्यप्रदेश में देश में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इस सिस्टम के द्वारा मजदूर के काम की मांग से लेकर उसके खाते में मजदूरी भुगतान तक की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रदर्शित है यह सबके सामने है। पारदर्शी सिस्टम होने से सबकी जिम्मेदारी स्पष्ट और सुनिश्चित हो गई है। मध्यप्रदेश में 26 नवम्बर, 2016 से Nefms लागू किया गया है, जिससे भारत सरकार के खाते से राशि श्रमिक के खाते में सीधे हस्तांतरित हो जाती है।

विगत वर्ष महात्मा गांधी नरेगा द्वारा किये गये कार्य और व्यय को हम देखें तो वर्ष 2018-19 में 2029.93 लाख मानव दिवस सृजित किये गये, जबकि लक्ष्य 2000 लाख मानव दिवस था। 2018-19 में 5 हजार 18.21 करोड़

रुपये व्यय किये गए, जिसमें मजदूरी पर 2 हजार 997.72 करोड़ रुपये व्यय हुए।

महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत हम पिछले 6 माह की उपलब्धियां देखें तो विगत 6 माह में इस योजना में 3 लाख 63 हजार 415 कार्य पूर्ण हुए। इस दौरान 2 हजार 907.80 करोड़ व्यय किये गये।

इस वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2 हजार 500 करोड़ का बजट प्रावधान है। बजट के साथ लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से लगभग 7466 आंगनवाड़ी, 4194 पंचायत भवन, 8050 खेल मैदान, 8731 शांति धाम, 1,13,013 वृक्षारोपण परियोजना, 78,265 कपिलधारा कूप, 46,421 सी.सी. रोड, 15,375 ग्रेवल रोड आदि हैं।

हितग्राहीमूलक और समुदायमूलक उपयोजनाएं गांव के सशक्त और समग्र विकास के लिए कारगर साबित हो रही हैं, महात्मा गांधी नरेगा के साथ अन्य योजनाओं के अभिसरण से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार निर्माण के साथ आजीविका के स्थाई संसाधन उपलब्ध किये गये हैं। इससे ग्रामीणों का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। ग्रामीणों के समग्र विकास के लिए उपयोगी महात्मा गांधी नरेगा का क्रियान्वयन प्रदेश में पारदर्शितापूर्ण किया जा रहा है, विशेषता यह है कि इसमें मैदानी अमले की जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है।

वर्ष 2019-20 के लिए महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों की प्राथमिकता में शामिल हैं- नदी पुनर्जीवन, गौशाला निर्माण, प्राचीन तालाबों एवं चंदेल व बुंदेलकालीन तालाबों का जीर्णोद्धार। अतः इस वर्ष के महात्मा गाँधी नरेगा के बजट में रोजगार की सुनिश्चितता के साथ ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण का सम्पूर्ण खाका तैयार कर लिया गया है।

योजना में नदी पुनर्जीवन, गौशाला निर्माण और तालाबों के जीर्णोद्धार की विशेष पहल से ग्रामीणों को जल संसाधन की आपूर्ति होगी और वृक्षों के आवरण से प्रकृति संवर्धित होगी, जिससे रोजगार की सुनिश्चितता के साथ मध्यप्रदेश का संपूर्ण विकास होगा।

● **प्रस्तुति : जय ठकराल**

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

विकसित समाज का निर्माण तभी संभव है जब वह शिक्षित हो। शिक्षा से ज्ञान के साथ समझ विकसित होती है। यही आगे बढ़ने और विकसित होने की प्रक्रिया का आधारभूत सिद्धांत भी है। शिक्षा के लोकव्यापीकरण, शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि और निरंतरता के लिए तथा बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध किया जा रहा है। पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रदेश में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रशासनिक एवं नोडल विभाग है। यह कार्य स्वशासी संस्था 'म.प्र. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद्' द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत दोपहर में पका हुआ गर्म एवं रुचिकर भोजन निर्धारित मेनू अनुसार बच्चों को प्रदान किया जाता है।

विकसित समाज का निर्माण तभी संभव है जब वह शिक्षित हो। शिक्षा से ज्ञान के साथ समझ विकसित होती है। यही आगे बढ़ने और विकसित होने की प्रक्रिया का आधारभूत सिद्धांत भी है। शिक्षा के लोकव्यापीकरण, शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि और निरंतरता के लिए तथा बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए शालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध किया जा रहा है। पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रदेश में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रशासनिक एवं नोडल विभाग है। यह कार्य स्वशासी संस्था 'म.प्र. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद्' द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत दोपहर में पका हुआ गर्म एवं रुचिकर भोजन निर्धारित मेनू अनुसार बच्चों को प्रदान किया जाता है।

प्रदेश की 1.14 लाख प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में लगभग

75,301 स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 2.31 लाख रसोइयों द्वारा मध्यान्ह भोजन बनाने का कार्य किया जा रहा है।

कार्यक्रम के मुख्य घटक

- खाद्यान्न
- खाद्यान्न की परिवहन राशि
- भोजन पकाने की लागत राशि
- रसोइयों का मानदेय
- एमएमई (मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट एवं इवेल्युएशन)
- खाद्यान्न भारत सरकार से बी.पी.एल. दरों पर चावल तथा गेहूं प्राप्त होता है।
- खाद्यान्न की परिवहन राशि 7 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है।
- रसोइयों को प्रतिमाह एक अक्टूबर 2018 से मानदेय 2000 रुपये उनके खाते में भुगतान किया जा रहा है।
- कुल आवंटन का 1.8 प्रतिशत एमएमई मद के अंतर्गत प्राप्त होता है।

दूध प्रदाय योजना

प्राथमिक शालाओं तथा आंगनवाड़ियों के विद्यार्थियों को अतिरिक्त न्यूट्रीशन प्रदान करने के लिए दूध प्रदाय योजना शुरू की गयी है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत बच्चों को प्रदान किये जाने वाले भोजन से उनके वजन तथा स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। लेकिन भोजन में दूध में निहित पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो सकते इसलिए प्रोटीन तथा कैलोरीज की इस कमी को दूर करने के लिए बच्चों को दूध प्रदान किया जाता है।

योजना के तहत बच्चों को प्रति सप्ताह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को भोजन वितरण से लगभग दो से तीन घण्टे पूर्व मीठा सुगंधित दूध प्रदान किया जाता है। शिक्षा के लोकव्यापीकरण तथा बच्चों के समुचित स्वास्थ्य और पोषण के लिए चलाए जा रहे मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए इस वर्ष 1221.67 करोड़ का बजट प्रावधान है।

उपलब्ध वित्त राशि के अंतर्गत किचन शेड का निर्माण, मध्यान्ह भोजन सामग्री वितरण तथा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019-20 में 61,250 शासकीय शालाओं में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाये गए जो एक सराहनीय नवाचार है।

नीमच प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जहाँ शत-प्रतिशत स्कूलों में रसोई गैस उपलब्ध है। प्रदेश में 2.31 लाख रसोइयों को हर महीने 2000 रुपये प्रति रसोइया मानदेय दिया जाता है, जिसमें राज्य शासन द्वारा 1400 रुपये तथा भारत सरकार द्वारा 600 रुपये का अंश है। वर्ष 2018-19 में 5300 किचिन शेड स्वीकृत कर प्रथम किश्त 61.18 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

अति कुपोषित चिन्हित 75 विकासखण्डों में 11.97 लाख बच्चों को पौष्टिक चिक्की का अतिरिक्त पोषण के रूप में वितरण का प्रावधान है।

● **प्रस्तुति : हेमलता हुरमाड़े**

पचास करोड़ से होगा गांवों का आधुनिक विकास

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन

इस वर्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। रूरबन मिशन द्वारा गांवों के मूल स्वरूप में विकास गतिविधियां की जा रही हैं। यह विकास का युग है, ऐसे में जरूरी है कि हमारे गांव भी आधुनिक सुविधाओं और वर्तमान प्रौद्योगिकी से जुड़ें। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी है कि हमारे गांव का मूल स्वरूप बना रहे, क्योंकि हमारी ग्रामीण संस्कृति और स्वरूप हमारा आधार है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की शुरुआत की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों के क्लस्टर में ऐसे कार्य करना है जिनसे शहरों की ही तरह प्रौद्योगिकी, सुविधाएं और सेवाएं विकसित हो सकें। रूरबन मिशन के अंतर्गत तीन चरणों में 15 जिलों के चयनित 19 संकुल (11 जनजातीय तथा 8 गैर जनजातीय) की 164 ग्राम पंचायतों के 338 ग्रामों में कार्य किये जायेंगे।

इन संकुलों में विभिन्न रूरबन घटकों जैसे- जलापूर्ति, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालयों का उन्नयन, स्वास्थ्य, सामाजिक अधोसंरचना, सीसी रोड तथा डिजिटल साक्षरता सह लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में 134.82 करोड़ की गतिविधियां स्वीकृत हुई थीं तथा इसके अनुसार कार्य किया जा रहा है।

इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में 50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। योजना के तहत इस वर्ष 2019-20 में 233.50 करोड़ के कार्यों का क्रियान्वयन किया जाना है।

● **प्रस्तुति : विजय देशमुख**

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

आजीविका के लिये दिये गये 300 करोड़

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन और आजीविका से स्थाई रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई है। मध्यप्रदेश में 2012 से शुरू की गई यह योजना अब सम्पूर्ण प्रदेश के ग्रामीणों को लाभ पहुँचा रही है। इसके तहत मजबूत बुनियादी सस्थाओं के माध्यम से गरीबों की आजीविका को स्थाई रूप से बेहतर बनाया जा रहा है।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास के बजट में इस वर्ष 300 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मिशन का मुख्य उद्देश्य गांव की गरीब महिलाओं को स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षित करना तथा समूह सदस्यों के परिवारों को उपयोगी स्व-रोजगार और कौशल आधारित आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है।

इस योजना में सहभागिता आधारित एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित अति गरीब एवं गरीब परिवार तथा सामाजिक, आर्थिक जातिगत जनगणना के अनुसार लक्षित परिवार पात्र हैं।

समूहों की ग्रेडिंग के पश्चात चक्रीय निधि एवं सामुदायिक निवेश निधि में पात्रता तथा बजट की उपलब्धता के अनुरूप राशि प्रदान की जाती है। आजीविका मिशन के तहत विगत 6 माह में किये गए कार्यों को देखें तो इसमें पिछले 6 महीनों में 1.65 लाख परिवारों को संगठित कर 15,729 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया। आजीविका समूहों के 19,081 प्रकरणों में 140 करोड़ का बैंक से ऋण प्रदान किया गया। लगभग 12,000 परिवारों को कृषि आधारित तथा 11,000 परिवारों को पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया तथा लगभग 16,000 स्व-सहायता समूह सदस्य गैर कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों

में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। सरकार ने राज्य आजीविका मिशन को सक्रिय स्वरूप में कार्य करने के लिए विशेष प्रयास तथा नवाचार भी किये हैं। मनरेगा के तहत स्व-सहायता समूहों को कार्य की एजेन्सी बनाया जा रहा है। इसके आदेश जारी कर दिये गए हैं। भूमिधारित एवं गैर भूमिधारित को आवश्यकतानुसार आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए समूह में शामिल परिवारों की आजीविका योजना तैयार की जा रही है। समूहों को दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज घटाकर 12 प्रतिशत तक किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

- संकुल आधार पर क्रियान्वयन।
- ग्रामीण निर्धन परिवारों तक मिशन की पहुँच सुनिश्चित कर उन्हें स्व-सहायता समूह एवं उनके परिसंघों के रूप में संगठित किया जाना।
- संघों तथा परिसंघों की वित्तीय, तकनीकी एवं विपणन सेवाओं तक पहुँच में वृद्धि एवं विशेष ध्यान।
- बेरोजगार युवाओं की क्षमता एवं कौशल निर्माण कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण निर्धन परिवारों को सामाजिक, आर्थिक सहायक सेवाओं की उपलब्धि में सुधार के प्रयास किया जाना।
- ग्रामीण निर्धन परिवारों को निरंतर सहायता करना ताकि वे गरीबी से उबर जायें।

● प्रवीण पाण्डेय

दस हजार ग्रामीण महिलाएँ बनेंगी इलेक्ट्रीशियन, राजमिस्त्री और प्लम्बर

पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि स्व-रोजगार गतिविधियों से जोड़ने के लिए आजीविका मिशन स्व-सहायता समूह की महिलाओं को राजमिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

समूह से जुड़ी लगभग 10 हजार महिला सदस्यों द्वारा इसमें रुचि व्यक्त की गई है। इनका प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में तकनीकी प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। मिशन की महिला सदस्यों को रुचि के

अनुसार प्रशिक्षण के लिए चुना जाता है। अभी तक 7397 महिलाओं को राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया है, जिनकी चरणबद्ध समूह के रूप में जिलों में प्रशिक्षण की कार्रवाई की जा रही है। अभी 510 महिलाएँ प्रशिक्षण पूर्ण कर रोजगार गतिविधियों से जुड़ चुकी हैं और 2195 महिलाएँ प्रशिक्षणरत हैं।

मंत्री श्री पटेल ने बताया कि प्लम्बर प्रशिक्षण के लिए 972 सदस्य चुने गए हैं। इनमें से 149 का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है और 116 प्रशिक्षणरत हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 1320 सदस्यों द्वारा रुचि व्यक्त की गई है। अभी 193 महिलाएँ प्रशिक्षणरत हैं।

पंचायत राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए

पाँच सौ बावन करोड़ का प्रावधान

मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने के लिए सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व में तीव्र गति के साथ ग्रामीण विकास के लिए ऐतिहासिक फैसले लिये गये। विकासात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन की दिशा में भोपाल में 23 फरवरी को पंचायत प्रतिनिधियों तथा उत्कृष्ट स्व-सहायता समूहों के प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों की विकास राशि में वृद्धि की घोषणा की गई थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के विकास राशि के अधिकार में वृद्धि की घोषणा को वर्ष 2019-20 के बजट में पारित कर दिया गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि राज्य वित्त आयोग मद से पंचायतों के पदाधिकारियों की वित्तीय अधिकार सीमा में वृद्धि की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष 50 लाख, जिला पंचायत उपाध्यक्ष 20 लाख, जिला पंचायत सदस्य 15 लाख, जनपद पंचायत अध्यक्ष 20 लाख, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष 10 लाख तथा जनपद पंचायत सदस्य 5 लाख तक के कार्यों का विकल्प दे सकते हैं। सरकार के इस निर्णय से जहाँ पंचायत राज संस्थाएँ सशक्त होंगी, वहीं जमीनी स्तर पर अच्छा कार्य हो सकेगा।

सरकार द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने को लेकर जिला तथा जनपद पंचायत प्रतिनिधियों से बात की। प्रस्तुत हैं चर्चा के अंश :-

जिला पंचायत अध्यक्ष
शाजापुर
श्रीमती कलाबाई कुण्डा
पत्नी श्री कालूसिंह कुण्डा
मोबा. नं. 8959820555

इस सरकार द्वारा निर्माण कार्यों के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। राशि बढ़ने को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष शाजापुर श्रीमती कलाबाई कुण्डा का कहना है कि सरकार ने हमारी वित्तीय सीमा बढ़ा दी है। जिला पंचायत की राशि दुगुनी कर दी गई है। सरकार ने पंचायतों के विकास की आवश्यकता को समझा और राशि बढ़ाई, इसके लिए सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद!
राशि बढ़ने से कई पंचायतों के छोटे-छोटे काम पूर्ण होंगे। विशेषकर जो काम अन्य मदों से छूट जाते हैं, या जो अति आवश्यक कार्य हैं उन्हें इस राशि से सम्पन्न कर दिया जायेगा। इससे निश्चित ही गांवों के विकास को बल मिलेगा।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष
रतलाम
श्री डी.पी. धाकड़
मोबा. 9165651000

पंचायत प्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार बढ़ने को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री डी.पी. धाकड़ से बात की। उन्होंने बताया कि जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का कार्यक्षेत्र काफी बड़ा रहता है। क्षेत्रवासी विकास और निर्माण की आशा रखते हैं। पहले जो राशि थी वह काफी कम थी। हम क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाते थे। अब राशि 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। राशि बढ़ने से हम स्थानीय स्तर पर काफी पंचायतों के कार्य कर पायेंगे। राशि में बढ़ोत्तरी के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ जी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके इस निर्णय से गांवों का वास्तविक विकास संभव हो सकेगा।

जिला पंचायत सदस्य
भोपाल
श्रीमती कुशालबाई बोपाल सिंह सोलंकी
मोबा. 9893213737

इस बजट में जिला पंचायत सदस्य की वित्तीय सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। इस विषय पर जिला पंचायत सदस्य भोपाल श्रीमती कुशालबाई बोपाल सिंह सोलंकी से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 65 गांव हैं,

26 पंचायतें हैं। इसके लिए अधिक राशि की आवश्यकता थी। राशि बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्र में विकास होगा और तरक्की होगी। अब गांव की विकास से संबंधित समस्याओं को हल किया जा सकता है। पैसा बढ़ने से हमें स्थानीय स्तर पर कार्य करने में सहयोग प्राप्त होगा। राशि बढ़ाने के लिए हम सरकार के आभारी हैं।

जिला पंचायत सदस्य
नरसिंहपुर
श्री दिग्विजय सिंह पटेल
मोबा. 9754058586

राशि बढ़ाने को लेकर नरसिंहपुर जिले के जिला पंचायत सदस्य श्री दिग्विजय सिंह पटेल ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य की वित्तीय सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। देखिए एक जिला पंचायत सदस्य के अंतर्गत 25 से 30 पंचायतें आती हैं। पहले हम परफार्मेंस ग्रांट से राशि नहीं दे पाते थे। सरकार के इस निर्णय से हम प्राथमिकता के आधार पर राशि दे सकते हैं। विशेषकर मजरे-टोलों के लिए कार्य किया जा सकता है। राशि उपलब्ध रहने से कार्य के चिन्हांकन में भी राहत मिली है, जिससे हेण्डपंप निर्माण का कार्य, अंतिम छोर में बसे गांव में होने वाली शादियों में पानी के टेंकर की व्यवस्था आदि कार्य किये जा सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार का यह बहुत ही अच्छा निर्णय है, इसके लिए सरकार साधुवाद की पात्र है। इससे जमीनी स्तर पर लाभ मिलेगा।

जनपद पंचायत अध्यक्ष
श्री भूपेन्द्र सिंह परिहार, रीवा
मोबा. 9425184825

जनपद पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार की राशि 12 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किये जाने को लेकर जनपद पंचायत अध्यक्ष रीवा भूपेन्द्र सिंह परिहार से बात करने पर उन्होंने कहा कि पहले हमारे व्यय अधिकार सीमित थे। हम कार्य नहीं कर पाते थे। अब हम क्षेत्र में बेहतर काम कर सकेंगे अच्छे काम में पैसा लगेगा, विकास होगा। राशि बढ़ाने के लिये सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद।

जनपद पंचायत उपाध्यक्ष
आष्टा
श्री शोभाल सिंह ठाकुर
मोबा. 9827803997

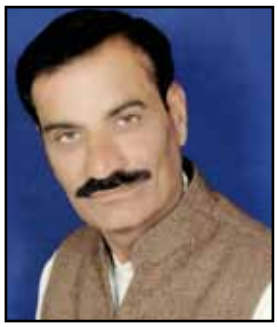

जनपद उपाध्यक्ष की राशि 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। इस विषय पर हमने जनपद पंचायत आष्टा के उपाध्यक्ष श्री शोभाल सिंह ठाकुर से बात की तो उन्होंने कहा कि यह सरकार का उत्तम कदम है। उपाध्यक्ष होने के नाते हमें पूरे क्षेत्र में जाना होता है। दौरे के समय लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और हमसे अपेक्षा भी रखते हैं। पहले हमारे हाथ बंधे थे। अब राशि बढ़ने से काफी राहत है। अब हम ग्राम पंचायतों के स्थानीय कार्य करवा सकते हैं। आवश्यक रहा तो बड़ा काम भी करवा सकते हैं। राशि बढ़ाने के लिए हमारी तरफ से सरकार को आभार। इस सरकार ने हमें जमीनी स्तर पर काम करने का मौका दिया है। इससे जहां पंचायत राज व्यवस्था सशक्त होगी, सक्रिय होगी वहीं गांवों की मूल जरूरत अनुसार कार्य हो सकेगा।

जनपद पंचायत सदस्य
साईंखेड़ा
श्रीमती सरोज गुर्जर
पत्नी श्री विष्णु गुर्जर
मोबा. 9826695954

नरसिंहपुर जिले के साईंखेड़ा जनपद के वार्ड क्र. दस की जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती सरोज गुर्जर ने बताया कि सरकार ने जनपद पंचायत सदस्य के लिए राशि 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। यह सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है। इससे ग्रामीणों को लाभ मिलेगा और ज्यादा विकास कार्य हो सकेगा। हम जनता के बीच जाते थे। समस्याएँ भी सामने दिखती थीं, लेकिन उतनी मदद नहीं कर पाते थे। अब हम जनता को उनकी जरूरत के अनुसार लाभ पहुँचाने की स्थिति में हैं। एक अपेक्षा जरूर है कि यदि निर्माण एजेन्सी जनपद हो जाए तो पंचायतों पर निर्भरता कम हो सकती है। हम स्वतंत्र रूप से ग्रामीणों की आवश्यकतानुसार कार्य कर सकते हैं। सरकार को राशि बढ़ाने के लिए धन्यवाद। इससे ग्रामीण विकास और अच्छा हो सकेगा। प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का वास्तविक स्वरूप निर्मित होगा।

● प्रस्तुति : ज्योति राय

कलेक्टर महीने में दो बार एक ब्लॉक और गाँव में जाकर सुलझाएं समस्याएं

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनाधिकार कार्यक्रम में कलेक्टरों को संबोधित करते हुए कहा है कि जनहित के काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही को प्रचारित करें, ताकि आम लोगों को पता चले और अन्य लापरवाह अधिकारियों को भी सबक मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में प्राप्त शिकायतों और समस्याओं का समाधान शत-प्रतिशत होना चाहिए।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग में उन्होंने 10 जिलों के 12 लोगों की समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने हितग्राहियों से पूछा कि शिकायत दर्ज कराने से लेकर समाधान मिलने तक कितना समय लगा और किन-किन जगह विलंब हुआ। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि शिकायतें आने पर ही निराकरण करने की संस्कृति को समाप्त करें। जिलों के सेवा प्रदाय तंत्र को ऐसा चुस्त दुरुस्त रखें कि शिकायतों की संख्या निरंतर कम होती जाए। उन्होंने कहा कि समय पर समाधान न करने वालों की जिम्मेदारी तय हो और उन पर की जाने वाली कार्यवाई की बुकलेट बनाई जाए ताकि लोगों को अपने दायित्व का भान हो सके।

मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ के किसान दीनदयाल गुप्ता को वर्ष 2017 की सूखा राहत की राशि नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने पूछने पर बताया कि जिले में 3325 किसानों को 55 लाख रुपये देना बाकी है। मुख्यमंत्री ने शहडोल के प्रभुलाल यादव को कर्मकार मंडल द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति समय पर न मिलने पर भी अप्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री नाथ ने 'आपकी सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम के संबंध में कलेक्टरों से चर्चा करते हुए कहा कि वे महीने में दो बार किसी एक ब्लॉक और गाँव में जाकर लोगों की समस्याएँ सुनने और तत्काल निराकरण योग्य समस्याओं का स्थल पर ही निराकरण करें। उन्होंने कलेक्टरों को प्रत्येक माह राज्य मुख्यालय को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

खाद-बीज की कोई कमी नहीं

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने जिलों में खाद-बीज की उपलब्धता के संबंध में पूछा, तो कलेक्टरों ने बताया कि खाद-बीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कई मुद्दों पर कलेक्टरों से बात की और निर्देश दिये। स्कूल चलें हम अभियान के अंतर्गत दाखिला मिले बच्चों के संबंध में श्री नाथ ने कहा कि यह देखना होगा कि दाखिला लिये बच्चे किसी भी कारण से स्कूल नहीं छोड़ें।

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक निवेश के संबंध में कहा कि वे जिलों में सहयोगी की भूमिका में निवेशकों का साथ दें, उनकी मदद करें। कौशल विकास केन्द्रों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आकलन करें कि प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिलने और स्वरोजगार स्थापित करने में कितनी सफलता मिली। सिर्फ कौशल प्रशिक्षण देना पर्याप्त नहीं है। कानून-व्यवस्था के संबंध में उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय एवं सावधान रहने से कानून-व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण हो सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने सीएम हेल्पलाइन 181 की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रयोग के तौर पर तीन जिलों की अपनी हेल्पलाइन स्थापित करें और इसका परिणाम देखें। इसी प्रकार प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन भी स्थापित की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि जिस जिले में सेवा प्रदाय तंत्र कमजोर होता है, वहां से ज्यादा शिकायतें मिलती हैं।

नरेगा में ऑनलाइन प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेंगे सरपंच

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि अब सरपंच नरेगा योजना में निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति ऑनलाइन जारी करेंगे। निर्माण कार्यों की प्राक्कलन से भुगतान तक पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में एक अप्रैल 2019 से सिक्यूर (SECURE) सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें सामुदायिक पेयजल कूप (निर्मल नीर) तथा ग्रामीण अंचल में शांतिधाम निर्माण के लिए स्टेण्डर्ड प्राक्कलन और डिजाइन उपलब्ध है। सामुदायिक पेयजल कूप के लिये 4 लाख 46 हजार, 5 लाख 34 हजार और शांतिधाम के लिए 1 लाख 92 हजार और 2 लाख 80 हजार लागत के दो-दो मानक प्राक्कलन निर्धारित किये गये हैं। सॉफ्टवेयर के अनुसार रोजगार सहायक अथवा उप यंत्री द्वारा ले-आउट दिया जाएगा। उप यंत्री प्राक्कलन तैयार करेंगे, सहायक यंत्री द्वारा तकनीकी स्वीकृति दी जायेगी तथा सरपंच प्रशासकीय स्वीकृति देंगे। सभी कार्यों की समय-सीमा का निर्धारण भी किया गया है।

नगरीय निकायों और पंचायतों की त्रुटि रहित मतदाता सूची बनायें

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्रीमती सुनीता त्रिपाठी ने कहा है कि त्रुटि रहित फोटोयुक्त मतदाता सूची बनायें। उन्होंने कहा कि एक भी पात्र मतदाता का नाम सूची में नहीं छूटना चाहिए। श्रीमती त्रिपाठी राज्य निर्वाचन आयोग में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण संबंधी प्रशिक्षण को संबोधित कर रही थीं।

श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि उप जिला निर्वाचन अधिकारी पुनरीक्षण की सतत मॉनीटरिंग करें। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की शंकाओं का समाधान भी करें।

उप सचिव श्रीमती अजीजा सरशार जफर ने कहा कि पुनरीक्षण में त्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं हो। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स श्री दीपक पाण्डे और श्री चन्द्रशेखर श्रीवास्तव ने पुनरीक्षण प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। एम.पी.एस.ई.डी.सी. के अधिकारियों ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण में आई.टी. के उपयोग के बारे में बताया। उप सचिव श्री सुतेश शाक्य ने मतदाता पंजीकरण के लिये प्रचार-प्रसार के संबंध में प्रशिक्षण दिया।

प्रशिक्षण में चम्बल, ग्वालियर, रीवा, इंदौर और उज्जैन संभाग के सभी जिलों के अधिकारी शामिल हुए। शेष संभागों के जिलों के अधिकारियों की ट्रेनिंग 4 जून को होगी।

मतदाता जागरूकता अभियान के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त

नगर निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिये मतदाता जागरूकता अभियान (SENSE) चलाया जाएगा। अभियान की गतिविधियों के संचालन एवं पर्यवेक्षण के लिये जिला एवं तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्रीमती सुनीता त्रिपाठी ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय के लिये जिला स्तर पर अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण (डूडा) को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिये जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और तहसील स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कृषि क्षेत्र में नवाचारों को अपना रहे हैं किसान

मध्यप्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्व-सहायता समूहों के सदस्यों ने संवहनीय आजीविका और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजना से जुड़कर नवाचारों को अपनाया है। इससे न केवल उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है, अर्थात कृषि जिंसों की लागत में भी कमी आई है। परियोजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सिलसिले में प्रदेश के 100 समुदाय स्रोत व्यक्तियों (सीआरपी) को हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज कैम्पस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

परियोजना के अन्तर्गत उत्पादन के क्षेत्र में श्री विधि, डीएसआर, सघन फसली, पशुपालन और मुर्गीपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। इसमें किसानों को ग्राम स्तर पर ऋण भी उपलब्ध कराया गया है।

प्रदेश के मण्डला और श्योपुर जिले में इस परियोजना से किसानों के आर्थिक और सामाजिक स्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने में आयी है। परियोजना से जुड़े किसानों की अन्य किसानों से तुलना पर यह तथ्य साफतौर पर रेखांकित हुआ है। परियोजना से जुड़े किसानों का उत्पादन 2014 की तुलना में 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बढ़ा है तथा कृषि जिंसों में लागत लगभग 2 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कम हुई है। इस परियोजना से महिला किसानों के परिवार में निर्णय लेने की क्षमता विकसित हुई है और खेती में कृषि यंत्र भण्डार के उपयोग से मजदूरी और बोझ में कमी आयी है।

15 अगस्त, 2019 को ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय

क्र. F-16-7/पंचा.-/2019/22/पं.-2/पं.उ.स./ **भोपाल, दिनांक 08.08.2019**

प्रति,

1. कलेक्टर
   जिला :- समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश

विषय : 15 अगस्त, 2019 को ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 6 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा का त्रैमासिक सम्मिलन आयोजित करना अनिवार्य है, उक्त त्रैमासिक सम्मिलिन के क्रम में दिनांक 15 अगस्त, 2019 को ग्राम सभाओं का चरणबद्ध तिथियों में आयोजन किया जाना है। स्थानीय एजेंडा के विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित मुददों पर भी ग्राम सभा में चर्चा की जाये :-

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद :-

1. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेबर बजट के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियों पर चर्चा।
2. ग्राम पंचायत अंतर्गत चल रहे अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किये जाने पर चर्चा।
3. गौशाला निर्माण की प्रगति पर चर्चा (जिन ग्राम पंचायतों में निर्मित होना है)
4. नदी पुनर्जीवन की प्रगति पर चर्चा (जिन ग्राम पंचायतों में इसके कार्य प्रगतिरत हैं)
5. चंदेलकालीन व बुंदेलाकालीन तालाबों एवं प्राचीन तालाबों के जीर्णोद्धार की प्रगति पर चर्चा।
6. जल शक्ति अभियान (जिन विकासखण्डों में है) की प्रगति पर चर्चा एवं आगामी वर्ष में लिये जाने वाले कार्यों पर चर्चा।
7. जॉबकार्ड अद्यतनीकरण व गुड गवर्नेंस गतिविधियों के क्रियान्वयन पर चर्चा।
8. सिक्योर सॉफ्टवेयर पर चर्चा।
9. महात्मा गांधी नरेगा की हितग्राही मूलक एवं सामुदायिक उपयोजनाओं के संबंध में जारी नवीन निर्देशों से अवगत कराना!
10. मनरेगा कार्यों के पायलट सामाजिक अंकेक्षण हेतु चिन्हींकित प्रदेश के 23 जिलों के समस्त विकासखण्ड की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम संपरीक्षा समिति का गठन, शासन के परिपत्र (ख) क्रमांक 1900 दिनांक 22.06.2017 के अनुसार किया जाना।

मध्यप्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन :-

1. ऐसे वंचित परिवार जो SECC की सूची में नहीं है, उन्हें स्व-सहायता समूह में शामिल करने हेतु सूची का ग्राम सभा में अनुमोदन कराना।
2. ऐसे परिवार जो SECC की सूची में शामिल हैं, परन्तु वह स्व-सहायता समूह में शामिल नहीं होना चाहते हैं, ऐसे परिवारों की सूची का ग्राम सभा में अनुमोदन कराना।
3. स्व-सहायता समूह जो निष्क्रिय श्रेणी में हैं की सूची पढ़ा जाना।
4. निष्क्रिय स्व-सहायता समूहों को सक्रिय किये जाने की रणनीति पर चर्चा।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद :-

1. मध्यान्ह भोजन का मेनू अनुसार नियमित वितरण, भोजन की गुणवत्ता एवं निर्धारित मात्रा में प्रदाय पर चर्चा।
2. दुग्ध पाउडर से निर्मित दूध का सप्ताह में तीन दिवस सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को नियमित वितरण पर चर्चा।

14वां वित्त आयोग :-

1. महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना, 14वें वित्त आयोग अनुदान अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किये गये प्रगतिरत/पूर्ण कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं सामाजिक अंकेक्षण किया जाना तथा व्यय की गई राशि की उपयोगिता।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ :-

1. टीकाकरण शाखा से संबंधित निम्न बिन्दुओं को 26 जनवरी, 2019 में ग्राम सभाओं का चरणबद्ध तिथियों के लिए पंचायत

राज एवं ग्राम स्वराज अंतर्गत आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं हेतु एजेण्डा बिन्दु।

2. पूर्ण टीकाकरण वर्ष 2019-20 सत्र हेतु प्रदेश के समस्त जिलों के 50 प्रतिशत से कम उपलब्धि प्राप्त 2444 उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 70 प्रतिशत से कम उपलब्धि प्राप्त 83 ब्लाकों में राज्य मिशन इंद्रधनुष अंतर्गत 7 दिवसीय टीकाकरण अभियान तीन चरणों में (23 सितम्बर, 23 अक्टूबर, 23 नवम्बर) में आयोजित किया जाना है। इस हेतु निम्न सहयोग अपेक्षित है :-
   - शत-प्रतिशत हितग्राहियों (0-5 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती महिलायें) का पंजीयन।
   - किसी भी बच्चे में बुखार के साथ दाने आने पर तुरंत सूचना बी.एम.ओ. को दें।
   - टीके सभी सुरक्षित, उपयोग, लाभकारी तथा हानिरहित हैं, सभी को बतायें।
   - सभी के सहयोग एवं टीकों के माध्यम से वर्ष 2014 में पोलियो उन्मूलन, वर्ष 2015 में जच्चा-बच्चा टिटेनस निर्मूलन संभव हो सका है।
   - वर्ष 2020 तक खसरा (मीजल्स) मुक्त प्रदेश बनाने हेतु कृपया प्रचारित करें कि ''खसरा रोग देवी प्रकोप नहीं है, बल्कि बच्चों की गंभीर जानलेवा वायरस की बीमारी है।'' सही समय पर सभी टीके, बचाव की गारंटी है।

   स्वास्थ्य सेवा अमला ग्राम पंचायतों में उपस्थित होकर प्रजेन्टेशन देगा।

अन्य विषय :-

1. मध्यप्रदेश ग्राम सभा अनिवार्य तथा वैकल्पिक करों के प्रावधानों पर चर्चा तथा करारोपण।
2. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के द्वारा अपेक्षित विभिन्न प्रतिवेदनों का ग्राम सभा में प्रस्तुतिकरण।
3. अन्य विषय जिन्हें जिला/जनपद या ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने हेतु चिन्हित किया जाये।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. F-16-7/पंचा.-/2019/22/पं.-2/पं.उ.स./ **भोपाल, दिनांक 08.08.2019**

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. सचिव, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सचिव, मान. मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. निज सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

---

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन (समस्त विभाग) मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, मनरेगा परिषद भोपाल मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, भोपाल म.प्र.।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल म.प्र.।
5. समस्त, संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल।
7. राज्य समन्वय अधिकारी, विंध्याचल भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत।

---

1. आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश तथा प्रबंध निदेशक, माध्यम/पंचायिका की ओर प्रकाशनार्थ।
2. जन संपर्क अधिकारी, मान. मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर समाचार-पत्रों में प्रकाशनार्थ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

15 अगस्त, 2019 को ग्राम सभाओं का अतिरिक्त एजेण्डा

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
भविष्य निधि कार्यालय के समीप,
अरेरा हिल्स, हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास, भोपाल
Telephone No. 0755-2557727, Fax No. 0755-2552899, E-mail address: dirpanchayat@mp.gov.in

क्र./पं.रा./एफ-1-29-2453/2019/10705 **भोपाल, दिनांक 13.08.2019**

प्रति,

कलेक्टर,
जिला - समस्त, मध्यप्रदेश
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश

विषय : 15 अगस्त, 2019 को ग्राम सभाओं का अतिरिक्त एजेण्डा।

संदर्भ : शासन का पत्र क्रमांक एफ-16-7/पंचा-/2019/22/पं.-2/पं.उ.स./दिनांक 8.8.2019.

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें 15 अगस्त, 2019 को ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन के संबंध में एजेण्डा जारी किया गया है, जिसके साथ संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें से प्राप्त हुआ है, उपरोक्त एजेण्डा संलग्न प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(अशोक कुमार चौहान)
संयुक्त संचालक (पंचा.)
पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

15 अगस्त 2019 को आयोजित ग्राम-सभा में
पी.सी.-पी.एन.डी.टी. का संदेश

● प्रदेश में जन्म के समय घटता लिंगानुपात एक चिंतनीय सामाजिक बुराई है। पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में कुछ लोग अपने रीति रिवाजों, अंधविश्वासों, पारिवारिक स्थिति और सामाजिक कारणों से बेटियों से जीने का अधिकार छीन लेते हैं।

1. **हर ग्राम सभा ने ठाना है, हर बेटी को पढ़ाना है,**
   उसे स्वस्थ-शिक्षित बनाना है।
2. **बेटी को मत समझो भार, जीवन का है ये आधार।**
3. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गाँव को स्वर्ग बनाओ।**

● समस्त उपस्थित जन-समुदाय शपथ ले कि :-

संकल्प : अपने परिवार एवं समाज में लड़के एवं लड़की में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे।

उप संचालक
मेडिकल काउन्सिल एवं विनियमन
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत नवीन ''शांतिधाम'' की मानक लागत एवं भुगतान के निर्देश

म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्र./1270/MGNREGS-MP/NR-3/2019 **भोपाल, दिनांक 24/28.05.2019**

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
जिला - समस्त (म.प्र.)

विषय : महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत नवीन ''शांतिधाम'' की मानक लागत एवं भुगतान के निर्देश।

विकास आयुक्त कार्यालय का पत्र क्र. 12445/एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/16 दिनांक 09.12.2016 से शांतिधाम टाइप-1 व टाइप-2 के निर्माण हेतु निर्देश दिये गये हैं। पत्र क्र. 6967/22/वि-10/ग्रायांसे/2017 दिनांक 01.06.2017 से भुगतान के चरणों का निर्धारण एवं परिषद् के पत्र क्र. 7577/MGNREGS-MP/NR-3/तक./2017 दिनांक 22.10.2017 से सामग्री मद की राशि व मजदूरी मानव दिवस में निर्धारित की गई।

प्रदेश के सभी जिलों में SECURE लागू होने के दृष्टिगत ऑनलाइन प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही किये जाने के अनुक्रम में वर्ष 2018-19 में लागू SECURE की दरों के आधार पर प्राक्कलित की गयी है जिसके अनुसार शांतिधाम के नवीन कार्यों के संपादन हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

1. जिन ग्रामों की आबादी जनगणना 2011 के अनुसार 2000 अथवा उससे कम है उसमें शवदाह के लिये एक प्लेटफार्म तथा जिन ग्रामों की आबादी जनगणना 2011 में 2000 से अधिक है उनमें दो प्लेटफार्म वाला शांतिधाम बनाया जाये।
2. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा अनुमोदित संलग्न डिजाइन के अनुसार प्राक्कलित लागत राशि निम्नानुसार है :
   टाइप-1 (चबूतरे का आकार 6 मी. X 6 मी.) एक शवदाह वाले शांतिधाम के लिये रुपये 1,92,066/-
   टाइप-2 (चबूतरे का आकार 9 मी. X 6 मी.) दो शवदाह वाले शांतिधाम के लिये रुपये 2,80,344/-।
3. **स्वीकृति-** शांतिधाम निर्माण का प्राक्कलन तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति SECURE में ऑनलाइन दी जावेगी। प्राक्कलन उपयंत्री द्वारा तैयार किया जावेगा, तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति क्रमशः सहायक यंत्री व ग्राम पंचायत द्वारा दी जावेगी।
4. **निर्माण एजेंसी-** कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत होगी।
5. **क्रियान्वयन व उत्तरदायित्व-**
   i. ले-आउट के समय शासकीय/सामुदायिक भूमि सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व ग्राम रोजगार सहायक का होगा।
   ii. उपयंत्री द्वारा कार्य का ले-आउट दिया जावेगा। साप्ताहिक मूल्यांकन व कार्य की गुणवत्ता हेतु समय-समय पर तकनीकी मार्गदर्शन दिया जावेगा। सामग्री खपत के देयकों को सत्यापित करना।
   iii. अति. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समय पर मस्टर जारी करना तथा समय सीमा में साप्ताहिक मजदूरी का भुगतान कराना। सामग्री खपत के अनुसार सामग्री मद का भुगतान कराने का दायित्व होगा।
   iv. सहायक यंत्री द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पूर्ण होने तक की अवधि में न्यूनतम एक बार निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। कार्य पूर्ण होने के उपरांत एक माह की अवधि में कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र अपने लॉगइन से नरेगा सॉफ्ट में अपलोड/जारी करने का उत्तरदायित्व होगा।
   v. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी जनपद द्वारा समय पर मस्टर रोल जनरेट करना, साप्ताहिक मजदूरी

का समय सीमा में भुगतान, सामग्री मद में भुगतान तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कराना। विगत वर्ष के अपूर्ण कार्यों का विश्लेषण कर समय सीमा में पूर्ण कराना।

6. **मूल्यांकन व भुगतान के चरण :** निर्माण के विभिन्न चरणों के लिये मूल्यांकन, अकुशल मजदूरी एवं सामग्री मद में चरणवार भुगतान का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :

भुगतान के चरण	शांतिधाम टाइप-1 (6 मी. X 6 मी.)			शांतिधाम टाइप-2 (9 मी. X 6 मी.)		
	मूल्यांकन (राशि रु. में)	मजदूरी (मानव दिवस में)	सामग्री (राशि रु. में)	मूल्यांकन (राशि रु. में)	मजदूरी (मानव दिवस में)	सामग्री (राशि रु. में)
प्लिंथ/चबूतरा स्तर तक निर्माण पूरा होने पर	44,928	28	40,000	60,512	37	54,000
स्टील फेब्रीकेटेड स्ट्रक्चर पूरा होने पर	69,632	32	64,000	1,08,976	51	1,00,000
स्ट्रक्चर पर सीट डलने पर	44,704	04	44,000	67,056	06	66,000
कार्य पूर्ण होने पर	32,802	53	23,474	43,800	63	32,712
योग	**1,92,066**	**117**	**1,71,474**	**2,80,344**	**157**	**2,52,712**

7. उक्त तालिका में दर्शित भुगतान के चरण वर्ष 2018-19 (मार्च 2019) में निर्धारित मानक लागत हेतु निर्धारित किये गये हैं। आगामी वर्षों में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल, श्रमिकों की मजदूरी, जीएसटी की दरों में एवं सामग्री की दरों में परिवर्तन होने पर एवं राज्य स्तर पर अद्यतन होने पर SECURE में नवीन कार्यों हेतु प्राक्कलित लागत स्वत: ही परिवर्तित हो जावेगी। प्राक्कलित लागत में परिवर्तन की दशा में मूल्यांकन अनुसार अंतर की राशि का समायोजन मजदूरी व सामग्री भुगतान की अंतिम किश्त में किया जा सकेगा।

8. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा पत्र क्रमांक 7258/22 वि-10/2016, दिनांक 09.12.2016 से जारी शेष तकनीकी निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

9. **नदी किनारे बड़े शांतिधाम -** बड़े आकार के शांतिधाम जिनमें दो से अधिक चबूतरे की आवश्यकता है, जो सामान्यत: नदी के किनारे बनाये जाने हैं, नरेगा से अनुमत नहीं होंगे इस हेतु विकास आयुक्त को पृथक से प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त की जा सकेगी।

10. **प्रभावशीलता :**

10.1 यह दिशा-निर्देश SECURE लागू होने के उपरांत स्वीकृत नवीन कार्यों हेतु प्रभावशील होंगे।

10.2 पूर्व में स्वीकृत तथा प्रगतिरत शांतिधाम के कार्यों हेतु तत्समय जारी निर्देश यथावत लागू होंगे।

(गौरी सिंह)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Type-I

शांति धाम / मुक्ती धाम
SHANTI DHAM/MUKTI DHAM

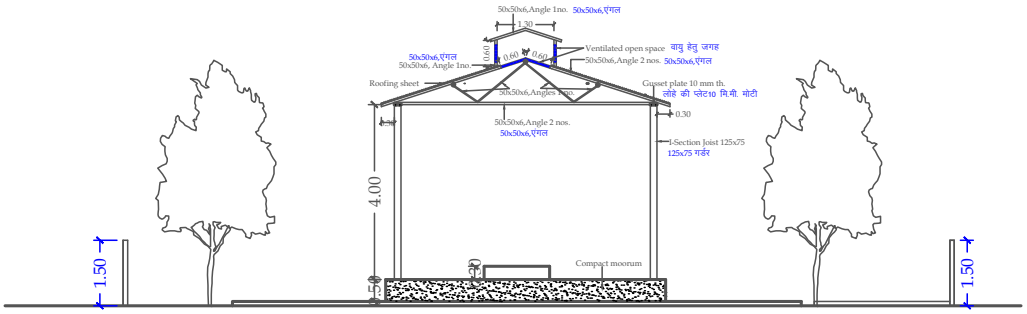

ELEVATION

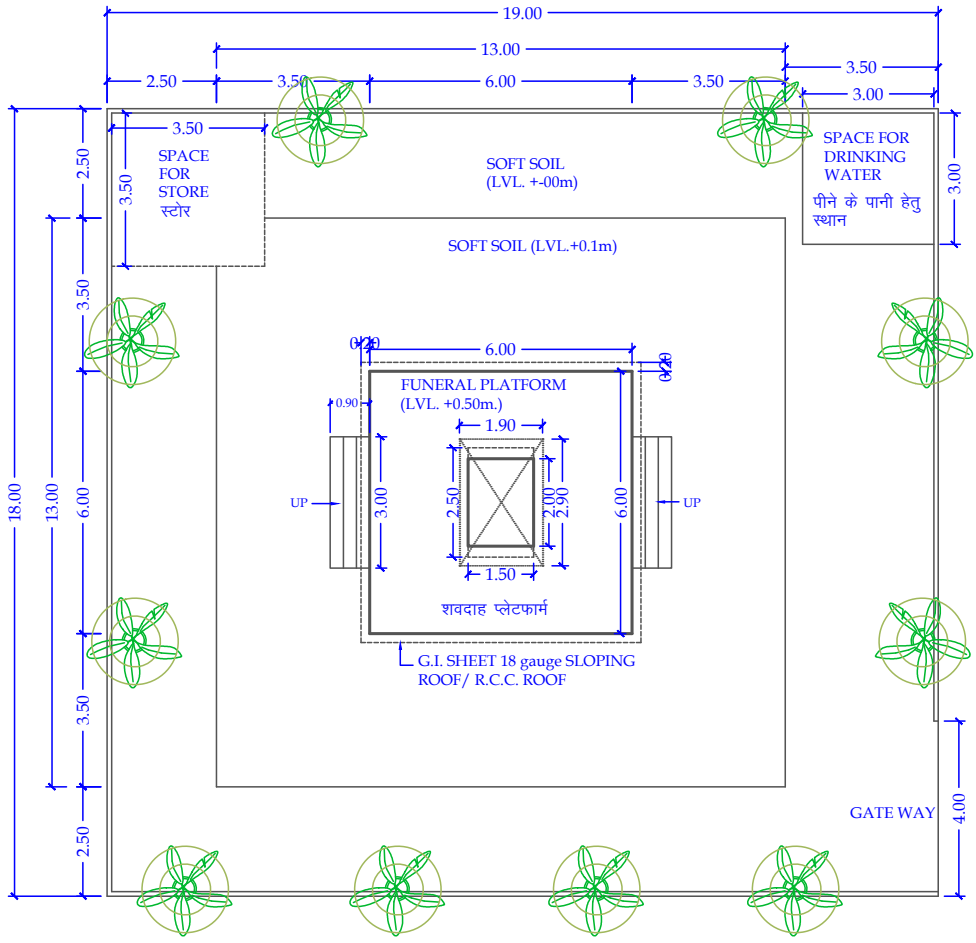

PLAN
प्लान
AREA=54.0 sqm

Note:-All dimensions in Metre.
सभी नाप मीटर में है।

Type-II

शांति धाम / मुक्ती धाम
SHANTI DHAM/MUKTI DHAM

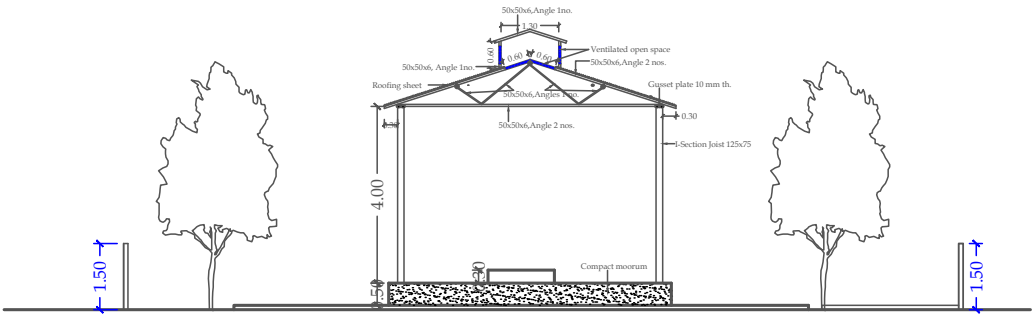

ELEVATION

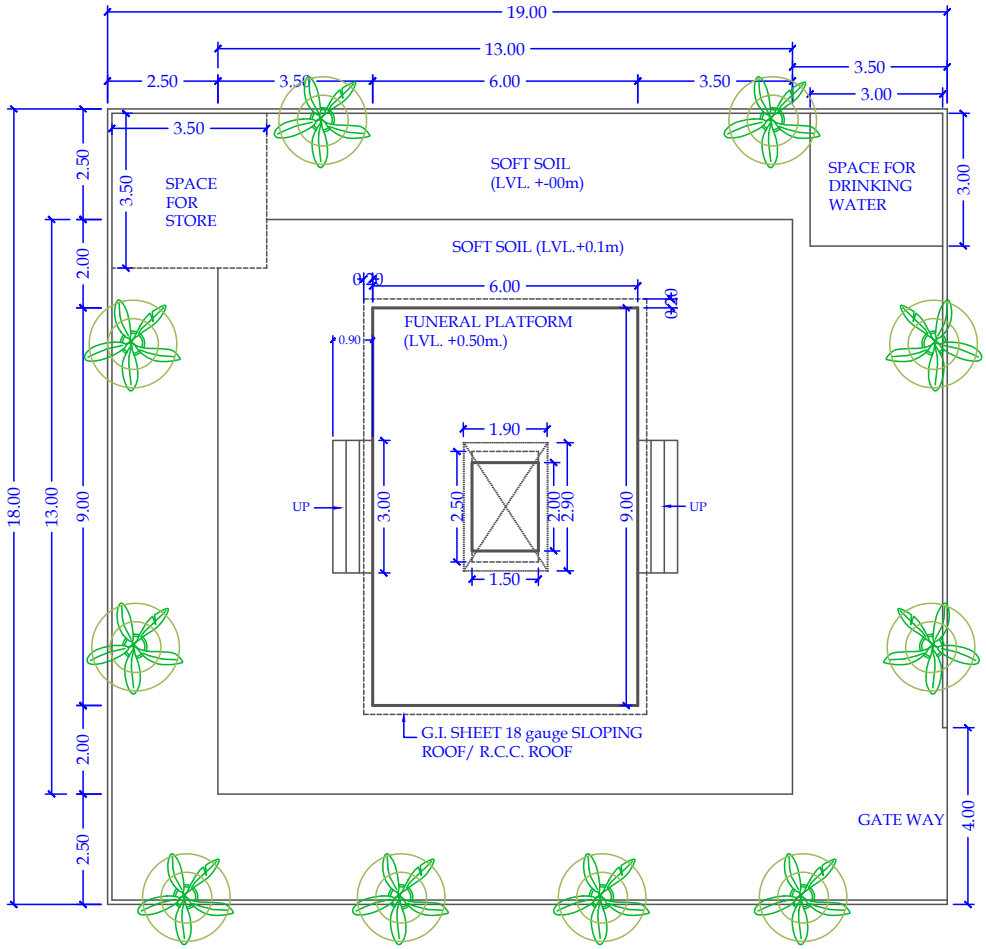

PLAN
प्लान
AREA=54.0 sqm

Note:-All dimensions in Metre.
सभी नाप मीटर में है।

Type-III

शांति धाम / मुक्ती धाम
SHANTI DHAM/MUKTI DHAM

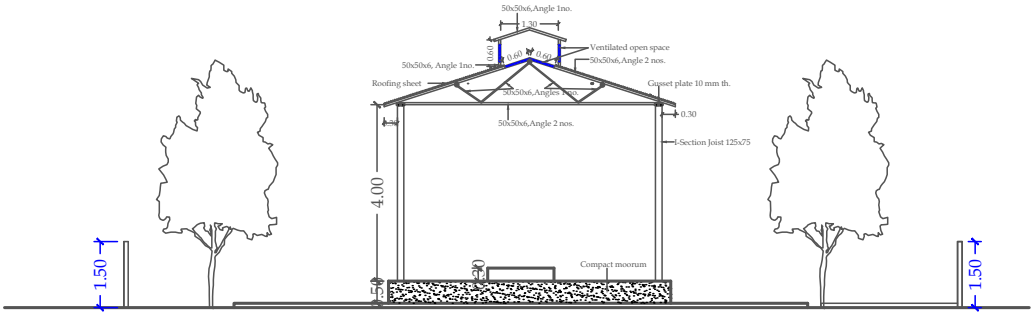

ELEVATION

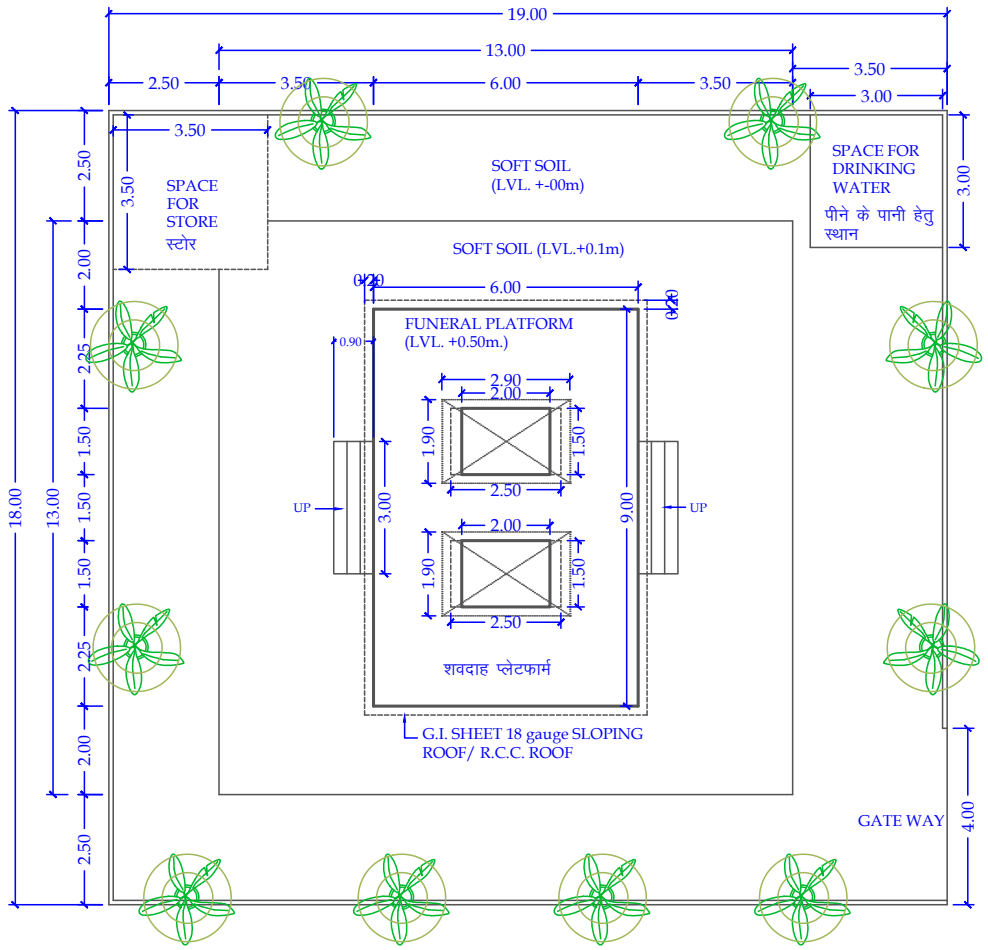

PLAN
प्लान
AREA=54.0 sqm

Note:-All dimensions in Metre.
सभी नाप मीटर में है।

Type-IV

शांति धाम / मुक्ती धाम
SHANTI DHAM/MUKTI DHAM

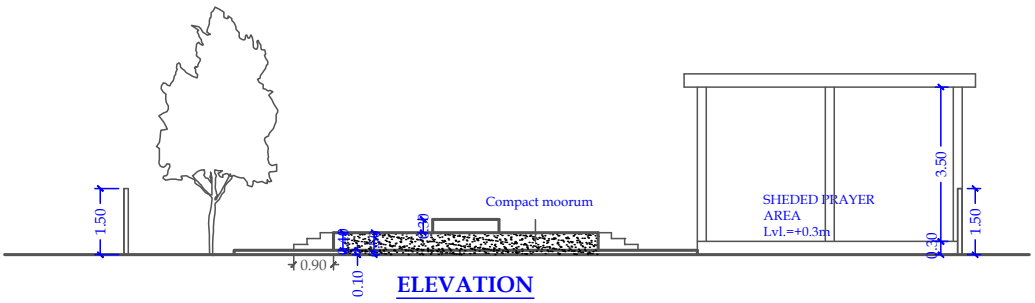

ELEVATION

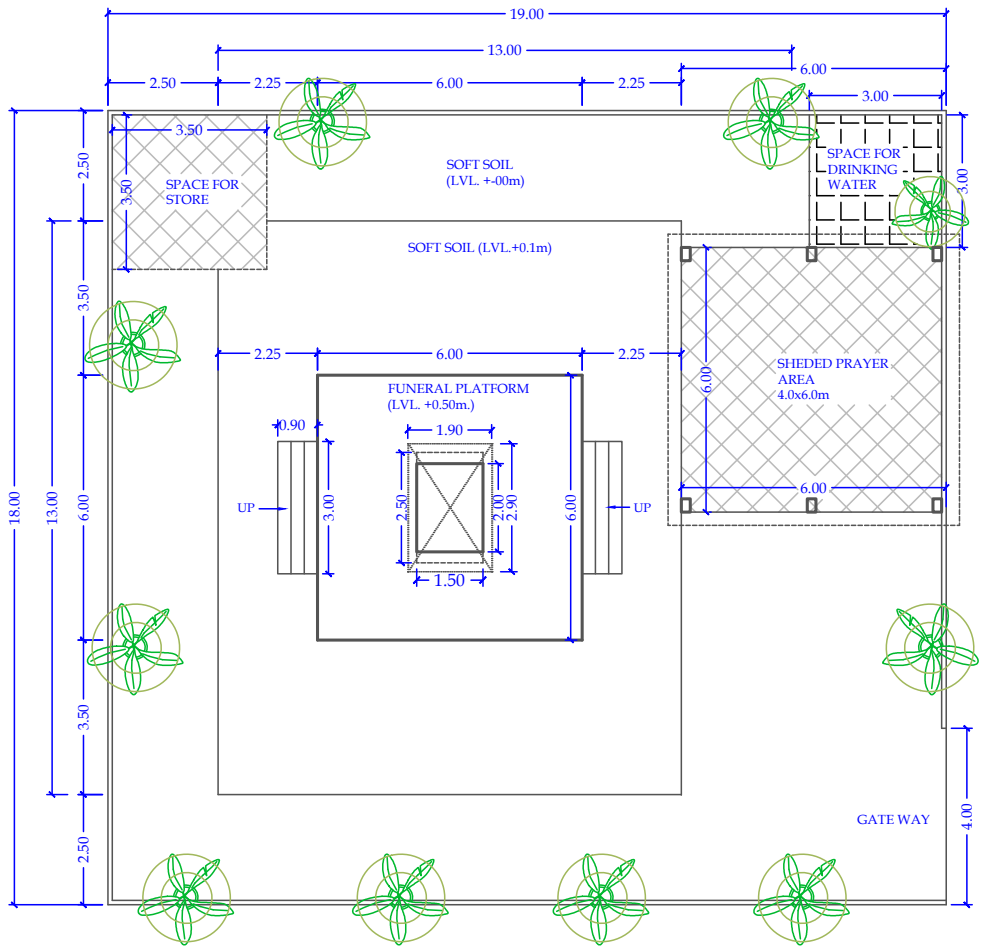

PLAN
प्लान
AREA=54.0 sqm

Note:-All dimensions in Metre.
सभी नाप मीटर में है।

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत नवीन ''खेत तालाब'' की मानक लागत एवं भुगतान के निर्देश

म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्र./1445/MGNREGS-MP/NR-3/2019 **भोपाल, दिनांक 31.05.2019**

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
जिला - समस्त (म.प्र.)

विषय : महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत नवीन ''खेत तालाब'' की मानक लागत एवं भुगतान के निर्देश।

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सभी जिलों में SECURE लागू होने के दृष्टिगत खेत तालाब उपयोजना के तहत नवीन खेत तालाब निर्माण हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं : 1. खेत तालाब निर्माण के लिये मानक मापदण्डों पर SECURE Software द्वारा तैयार किये गये Freeze Template में प्राक्कलित लागत वर्ष 2018-19 के SOR एवं मजदूरी दर पर निम्न तालिका अनुसार होगी :

क्र.	खेत तालाब जल संग्रहण क्षमता (घ.मी.)	किश्त	कार्य का विवरण	मूल्यांकन (राशि में)	मजदूरी (मानक दिवस में)	सामग्री (राशि रुपये में)
1.	400 घ.मी.	प्रथम	खेत तालाब की खुदाई का कार्य- 1.5 मीटर गहराई तक, पक्का सूचना फलक आकार 90 से.मी. X 60 से.मी.	21356	94	5000
		द्वितीय	खुदाई का कार्य - 3.00 मीटर गहराई तक, आउटलेट व पत्थर की पिचिंग का निर्माण	17324	74	4448
			योग	**38680**	**168**	**9448**
1.	1000 घ.मी.	प्रथम	खेत तालाब की खुदाई का कार्य- 1.5 मीटर गहराई तक, पक्का सूचना फलक आकार 90 से.मी. X 60 से.मी.	45584	216	8000
		द्वितीय	खुदाई का कार्य- 3.00 मीटर गहराई तक, आउटलेट व पत्थर की पिचिंग का निर्माण	54710	215	17300
			योग	**100294**	**431**	**25300**
2.	3600 घ.मी.	प्रथम	खेत तालाब की खुदाई का कार्य- 1.5 मीटर गहराई तक, पक्का सूचना फलक आकार 90 से.मी. X 60 से.मी.	137190	685	18000
		द्वितीय	खुदाई का कार्य - 3.00 मीटर गहराई तक, आउटलेट व पत्थर की पिचिंग का निर्माण	167792	717	43034
			योग	**304982**	**1402**	**61034**

2. खेत तालाब के तीन मानक डिजाइन बनाये गये हैं, आकार क्रमशः 400 घ.मी., 1000 घ.मी. एवं 3600 घ.मी. के पृथक से प्राक्कलन SECURE Software में Freeze Template द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। खेत के आकार में मौके की स्थिति के अनुसार तब्दीली की जा सकती है बशर्ते कि खेत तालाब की जल ग्रहण क्षमता 400 घ.मी. से कम न हो।

3. स्थल का चयन :

फार्म पॉण्ड हेतु चयनित हितग्राही की भूमि पर कार्य स्वीकृति के पूर्व ध्यान रखा जाये कि फार्म पॉण्ड के निर्माण हेतु स्थल चयन खेत के उस हिस्से में किया जाये जहां पानी के प्राकृतिक बहाव के फलस्वरूप अधिक से अधिक पानी आकर संग्रहित हो सके। स्थल चयन करते समय यह भी देखना होगा कि पूर्ण क्षमता तक फार्म पॉण्ड में जल संग्रहण हेतु इसके अपस्ट्रीम में पर्याप्त कैचमेंट उपलब्ध हो। इसके साथ ही चयनित स्थल का स्ट्रेटा भी अपारगम्य (Impervious) हो।

4. खेत तालाब निर्माण :

4.1 खेत तालाब को खोदे जाने पर इसके साइड स्लोप की मिट्टी का कटाव 1:1 में किया जाये ताकि बरसात के समय साइड स्लोप की मिट्टी कट कर/बहकर तालाब में वापस न भर जाये।

4.2 खेत तालाब को खोदे जाने के पश्चात उससे निकाली गई मिट्टी किनारों से लगभग 1 मीटर दूर जमा कर बण्ड (पार) बनाया जाये। इस बण्ड के स्थायित्व के लिये वानस्पतिक आवरण का भी उपयोग किया जा सकता है।

5. स्वीकृति :

5.1 खेत तालाब का प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति SECURE में ऑनलाइन दी जावेगी। प्राक्कलन उपयंत्री द्वारा तैयार किया जावेगा, तकनीकी व प्रशासकीय स्वीकृति क्रमशः सहायक यंत्री व ग्राम पंचायत द्वारा दी जावेगी।

5.2 खेत तालाब की लागत SECURE से जारी प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर निर्धारित होगी। आगामी वर्षों में अकुशल मजदूरी, अर्द्धकुशल व कुशल मजदूरी एवं सामग्री की दर में वृद्धि/कमी होने पर नवीन कार्य हेतु लागत केन्द्र व राज्य स्तर से दरें अद्यतन करने पर स्वतः परिवर्तित हो जावेगी।

6. तकनीकी मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता :

6.1 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभियंता (कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री) निर्माण के तकनीकी पहलुओं और गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखेंगे।

6.2 उपयंत्री सतत् तकनीकी मार्गदर्शन देंगे। नियत साप्ताहिक मजदूरी दिवस के पूर्व के दिन माप लेकर माप पुस्तिका में दर्ज करेंगे एवं मूल्यांकन करेंगे।

7. भुगतन : मूल्यांकन के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पास आर्डर (भुगतान आदेश) लगाया जावेगा, ग्राम रोजगार सहायक द्वारा मजदूरी भुगतान हेतु वेज लिस्ट जनरेट/सामग्री खपत के बिलों की प्रविष्टी की जावेगी। सहायक लेखा अधिकारी द्वारा FTO तैयार किया जावेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा FTO से भुगतान संबंधित के सीधे खाते में किया जावेगा।

8. कार्य की पूर्णता :

8.1 कार्य पूर्ण करने की अवधि एक वर्ष रहेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत का दायित्व समय पर मस्टररोल जनरेट करना, सामग्री मद में अग्रिम एवं साप्ताहिक मजदूरी का समय सीमा में भुगतान तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होना सुनिश्चित करना रहेगा।

8.2 सहायक यंत्री निर्माण कार्य का निरीक्षण करेगा एवं माह में एक बार माप व मूल्यांकन का सत्यापन करेंगे। कार्य पूर्ण होने के उपरांत एक माह में अपने लॉगिन - पासवर्ड से नरेगा सॉफ्ट में पूर्णता प्रमाण-पत्र अपलोड करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

9. प्रभावशीलता :

9.1 यह दिशा-निर्देश SECURE लागू होने के उपरांत से स्वीकृत खेत तालाब के लिए लागू होंगे।

9.2 पूर्व में स्वीकृत खेत तालाब में यदि निर्माण कार्य प्रारंभ न हुआ हो तो यह दिशा-निर्देश लागू होंगे।

(गौरी सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विभाग

MODEL DRAWING FOR FARM POND

खेत तालाब – मॉडल ड्राइंग

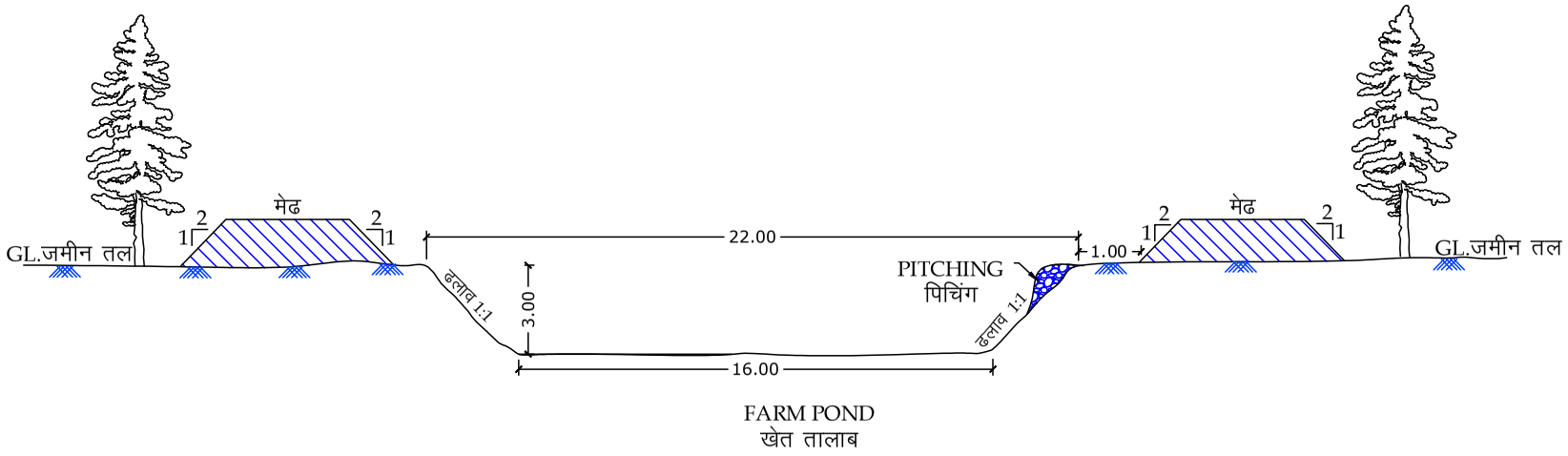

FARM POND
खेत तालाब

सेक्शन **SECTION**

Drawn by: Ar. Kiran Patidar
Note: All dimensions are in Metres.
सभी नाप मीटर में है।
Date: 18-04-17

खेत तालाब
INLET प्रवेश
OUTLET निकास
PITCHING
पिचिंग
FARM POND
खेत तालाब
मेढ
1.00
3.00
16.00
22.00
प्लान PLAN
सेक्शन SECTION
Drawn by: Ar. Kiran Patidar
Note: All dimensions are in Metres.
सभी नाप मीटर में है।
Date: 18-04-17

MODEL DRAWING FOR FARM POND CUM WELL

खेत तालाब सह कूप – मॉडल ड्राइंग

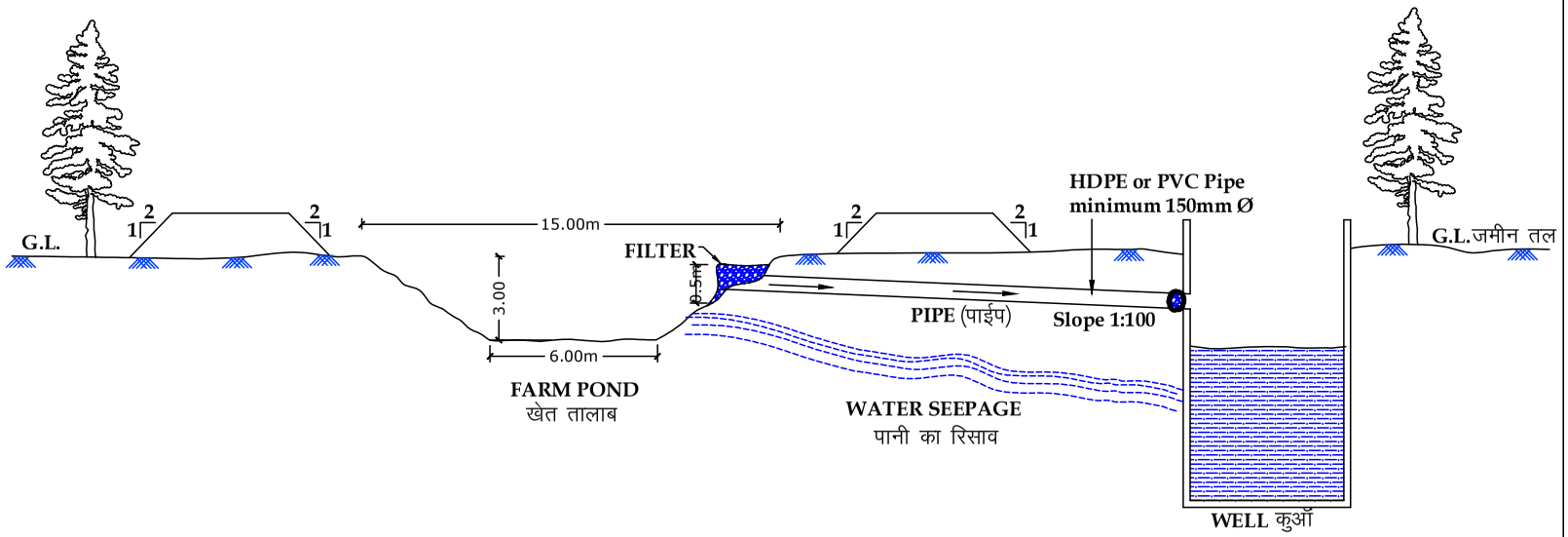

Note: All dimensions are in Metres.
सभी नाप मीटर में है।

खेत तालाब

परिशिष्ट–ब (2/3)

वर्गाकार

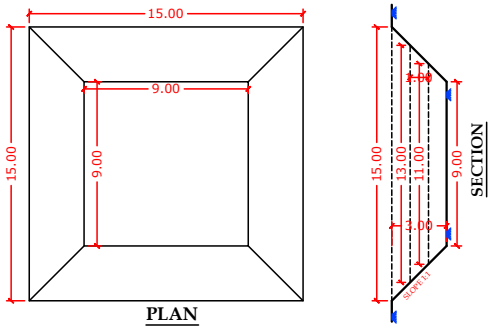

आयताकार

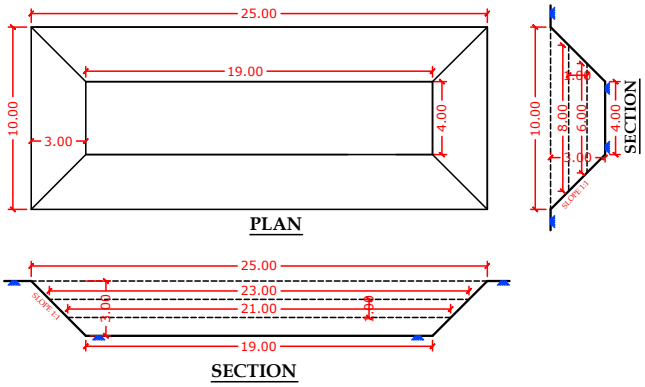

आयताकार

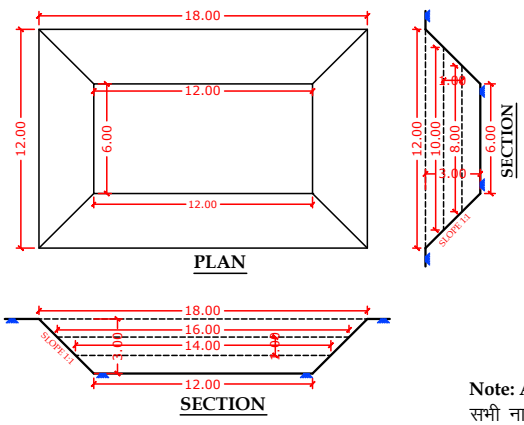

Note: All dimensions in M.
सभी नाप मीटर में है।